RNI No. :BIHHIN/2013/53084

संपादक
अभिजीत कुमार, 9431006107

प्रबंध संपादक
मुकेश कुमार सिंह, 9534207188
समाचार संपादक
अखिलेश कुमार, 9431089053
राजनीतिक संपादक
प्रो. नीरज कुमार सिंह, 9431049337
मैनेजिंग एडिटर
बिधुरंजन उपाध्याय, 8969478180
सहायक संपादक
प्रभाकर कुमार राय/एस. एन. श्याम
संपादकीय सलाहकार
राजीव कुमार सिंह 9431210181
रंजीत कुमार 8800689555
कॉन्सेप्ट एडिटर
अनूप कुमार शर्मा, 7004821433
विधि सलाहकार
वीणा कुमारी जयसवाल, पटना हाई कोर्ट
बिहार ब्यूरो
अनूप नारायण सिंह, साहब तनवीर 'शब्बू'
मुख्य संवाददाता
सोनू सिन्हा,9431006189
आशीष कुमार
जिला ब्यूरो
बेगूसराय : विरेश कुमार सिंह, 9430415316
अमित सिंह, 9430595995
भागलपुर प्रमंडल : राजेश पंजिकार, (ब्यूरो चीफ), 9334114515
सारण प्रमंडल : सचिन पर्वत, 9430069987
समस्तीपुर : मृत्युंजय कुमार ठाकुर, 8406039222
चांदन : अमोद कुमार दूबे : 8578934993
हसनपुर : विजय चौधरी : 9155755866
मुंगेर प्रमंडल : बिधुरंजन उपाध्याय
सहरसा: आशीष झा
जमुई: सुशान्त साईं सुन्दरम
किशनगंज : हबीबउर रहमान
बाराहाट : हेमन्त कुमार (संवाददाता)
सुईया : चन्द्रशेखर मिश्र (संवाददाता)
बिहार-झारखंड : अभिनव कुमार 7903292877
दिल्ली : नवल वत्स
ग्रेटर नोएडा : अरमान कुमार, 8920215318
प्रधान कार्यालय
गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7, पटना - 800 020 (बिहार)
मो.- 9431006107, 9939815347
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक : अभिजीत कुमार गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7 पटना - 800 020 (बिहार) से प्रकाशित व एस. एम. ऑफसेट पंडुईकोठी लंगर टोली, डीएन दास लेन, पटना-800 004,से मुद्रित।

पत्रिका में प्रकाशित किसी भी रचना के विवाद के लिए लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके लिए संपादक से सहमति जरूरी नहीं। पत्रिका से संबंधित सभी विवादों का निबटारा पटना उच्च न्यायालय से होगा।

संरक्षक

डॉ. संजय मयूख
राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी
भाजपा

जय जयराम सिंह
JJRS CONSTRUCTION
PVT. LTD.

चर्चित बिहार

वर्ष : 7, अंक : 4, दिसम्बर 2019, मूल्य : 25/- राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

7 एनकाउंटर और मानवाधिकार

पटना महावीर मंदिर की ... 15

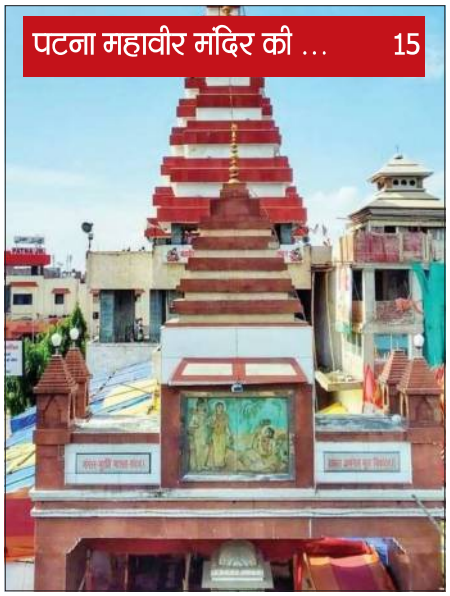

दिल्ली अग्निकांड ... 22

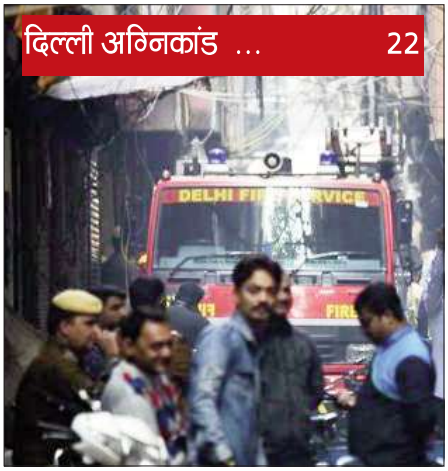

आनंद भवन पर चार करोड... 30

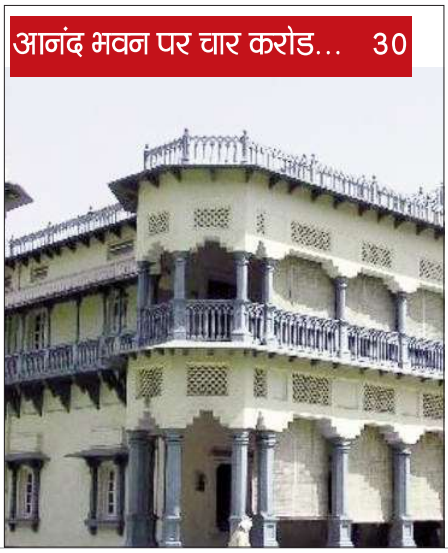

देश में अन्नदाता किसानों ... 43

पीछे न जाएं हालात

अभिजीत कुमार
संपादक
9431006107
cbhindi.news@gmail.com

हैदराबाद रेप-मर्डर के चारों आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद देशवासियों के एक बड़े हिस्से ने राहत की सांस लेनी शुरू ही की थी कि उन्नाव रेप पीड़िता की मौत ने दोबारा सबको मायूसी की चपेट में ले लिया। घटनाओं का यह क्रम बताता है कि हम नृशंस घटनाओं से उद्वेलित तो होते हैं लेकिन समाज और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कुछ ठोस नहीं कर पाते। 2012 में दिल्ली की सड़कों पर निर्भया के साथ हुई हैवानियत ने देश में एक जागृति पैदा की। फिर पिछले साल ऐसी दूसरी लहर #मीटू मूवमेंट के रूप में उभरी जब कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न मुद्दा बना। करीब पांच साल के अंतर पर आई इन हलचलों का समाज के मन-मस्तिष्क पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ा होगा, लेकिन निश्चित रूप से यह इतना कारगर नहीं था कि ऐसी घटनाओं में थोड़ी भी कमी महसूस हो सके। यौन हिंसा के मामलों को लेकर हमारे प्रशासनिक तंत्र की प्रतिक्रिया कमोबेश पहले जैसी ही रही। कुछ मामले ऐसे भी दिखे, जिनमें स्थानीय जनमत बलात्कारियों के पक्ष में जाता दिखा। कठुआ से लेकर उन्नाव और शाहजहांपुर तक ऐसे कई मामले हैं जहां ताकतवर आरोपी के सामने प्रशासनिक तंत्र पस्त नजर आया। कभी लड़की के चाल चरित्र को तो कभी उसके व्यवहार को दोष देने वाले बयान भी कम नहीं हुए। ऐसे में यह सवाल वाजिब है कि क्या हम और हमारी सरकार इन घटनाओं को महज एक तात्कालिक सनसनी के ही रूप में लेते रहने को अभिशप्त हैं ? जब कोई बड़ी घटना हो जाए तो उसके आरोपियों को फांसी देने की मांग करना और फिर सरकार की तरफ से कोई सुर्रा छोड़ दिए जाने पर खुशी से उछल जाना! इस हकीकत की तरफ हमारा ध्यान कम ही जाता है कि बलात्कार के मामलों में दोष साबित होने और सजा पड़ने का अनुपात जहां का तहां अटका पड़ा है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3.38 लाख मामले दर्ज हुए जिनमें 11.5 फीसदी मामले रेप के थे, लेकिन दोष हर चार मामलों में से सिर्फ एक में ही सिद्ध हो पाया। समाज की सोच बदलने का काम लंबा समय लेता है, लेकिन कुछ ठोस उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित करके हम देश की आबादी के मन में पैठा खौफ कुछ कम जरूर कर सकते हैं। जैसे, यह कि क्या रेप के मामलों में फैसला आने की कोई समय सीमा तय की जा सकती है? और यह कि ऐसे मामलों में सबूत जुटाने और उसे सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को फूल प्रूफ कैसे बनाया जा सकता है? सरकार अगर संसद में हर साल एक निश्चित तिथि पर यौन हिंसा में सजा पड़ने का राज्यवार प्रतिशत बताए, तो भी पुलिस ढांचे का ध्यान इस पर बना रह सकता है।

हैदराबाद डॉ प्रियंका रेप कांड

चारों अभियुक्तों का एनकाउंटर

हैदराबाद के बहुचर्चित रेप कांड में पकड़े गए चारों अभियुक्तों को पुलिस ने मार दिया है. हैदराबाद पुलिस के मुताबिक इन अभियुक्तों ने पुलिस जांच के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया जिसके जवाबी कार्रवाई में चारों मारे गए. ये कथित एनकाउंटर हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर महबूब नगर ज़िले के चटनपल्ली गाँव में हुआ. इस घटना की काफी लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो काफी लोग आलोचना भी कर रहे हैं. इन चचाओं के बीच में साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने प्रेस कांफ्रेंस कर इस घटना का ब्यौरा दिया.

कौन हैं वीसी सज्जनार, जिन पर सवाल उठ रहे हैं

उन्होंने जो कहा, उसकी अहम बातें इस तरह से हैं-

शमशाबाद एरिया में 27-28 की रात को वेटनरी डॉक्टर को अगवा कर, सेक्शुअली एसाल्ट कर, मर्डर कर यहां जलाया गया. हमने चार लोगों को 30 नवंबर को चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था. हमें इन चारों की दस दिन की पुलिस हिरासत चार दिसंबर को मिला. हमने चार दिसंबर-पांच दिसंबर को पूछताछ किया. हमारे दस पुलिसकर्मी उनके साथ थे. हम उन्हें अपराध की जगह लेकर आए थे. यहां पर अभियुक्तों ने पुलिस पर हमला कर दिया है, उन्होंने हमारे दो पुलिसकर्मियों से हथियार भी छीन लिए और गोली चलाने लगे. सबसे पहले पुलिस पर हमला मोहम्मद आरिफ ने किया, इसके बाद दूसरे अभियुक्तों ने भी हमला किया.चेतावनी देने के बाद भी वे थमे नहीं. पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और उसमें चारों मारे गए. घटना सुबह 5.45 से 6.15 के बीच हुई. हम उन्हें देर रात लेकर नहीं आए थे. सुबह लेकर आए थे क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा था. हमें शक है कि ये लोग कर्नाटक में पहले हुई ऐसी वारदातों में शामिल रहे हैं, हालांकि उसकी जांच की जा रही है. इस घटना के बाद मृतक डॉक्टर के पिता ने कहा कि मेरी बेटी की आत्मा को अब शांति मिली होगी.

बीजेपी की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद मेनका गांधी ने तेलंगाना एनकाउंटर की निंदा की. उन्होंने कहा- मैं इस एनकाउंटर के पूरी तरह खिलाफ हूं. जो कुछ भी हुआ वह बहुत ज्यादा भयानक है. आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते. कानून के हिसाब से वैसे भी उन्हें फांसी मिलती. अगर कानून से पहले ही उन्हें बंदूकों से मार दोगे तो फिर अदालत, पुलिस और कानून का फायदा ही क्या है. अगर निर्भया के अभियुक्तों को अभी तक सजा नहीं मिली है तो यह कानून की गलती है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एनकाउंटर पर लोग जश्न जरूर मना रहे हैं लेकिन यह हमारे कानून और विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा, "पूरे देश और समाज को इस बात पर चिंतन करना होगा कि क्रिमिनल और इवेस्टिगेटिव जस्टिस सिस्टम को दुरुस्त कैसे किया जाए." समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने तेलंगाना एनकाउंटर पर कहा, "देर आए, दुरुस्त आए...देर आए, बहुत देर आए." जया बच्चन ने संसद में कहा था कि बलात्कार के अभियुक्तों को जनता के बीच लाकर उन्हें लिंच कर देना चाहिए. जानी-मानी वकील रेबेका मेमन जॉन ने पुलिस कार्रवाई

पर सवाल उठाते हुए फेसबुक पर पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है - "कितनी आसानी से हम भीड़ के हाथों इंसाफ का जश्न मनाने लगते हैं. वो पुलिस जिस पर कोई कभी भरोसा नहीं करता, वो भरी रात में चार निहत्थे लोगों को मार डालती है. क्यों? क्योंकि ऐसे लोग रहें या ना रहें किसी को कोई फर्क. नहीं पड़ता." मानवाधिकार कार्यकर्ता कल्पना कन्नाबीरन ने फेसबुक पर लिखा है- "चार लोगों को मार डाला गया. क्या यही न्याय है? क्या हम चाहते हैं कि अदालतें अपना काम बंद कर दें और इस तमाशे को देखें?" राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि आयोग उनके लिए सजा-ए-मौत की मांग कर रहा था. लेकिन वो कानून के जरिए होना था. हम स्पीडी जस्टिस की मांग कर रहे थे. ये एक एनकाउंटर हुआ है. इसमें पुलिस ही बता सकती है कि किन परिस्थितियों में ये हुआ है. हम चाहते थे कि न्याय हो. न्याय लीगल सिस्टम से ही होता है. आम लोग खुश हैं कि ये हुआ लेकिन एक हमारा संविधान और लीगल सिस्टम है, और उसी के जरिए न्याय होना चाहिए था." हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने हैदराबाद की घटना पर कहा है कि वे इस तरह के एनकाउंटर के खिलाफ हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले को संज्ञान में लिया है. बैंडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने एनकाउंटर करने वाली पुलिस की प्रशंसा की है. उन्होंने ट्वीट किया है, "बेहतरीन काम हैदराबाद पुलिस, हम आपको सलाम करते हैं." ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन एसोसिएशन का बयान-'हिरासत में हत्या हमारे नाम पर न हो'

ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन ने इस घटना पर बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी अभियुक्त पुलिस हिरासत में थे और निहत्थे थे तो पुलिस का दावा झूठ लगता है कि उन्होंने पुलिल पर हमला किया जिसकी कार्रवाई में वो मारे गए. इस बयान के मुताबिक, 'यह न्याय नकली है. यह व्यवस्था न्याय के रूप में हत्या की पेशकश करती है, जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती, जो अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध करना सुनिश्चित नहीं करती.' 'मारे गए चारों लोग अभियुक्त थे, हमें नहीं पता कि वो वास्तव में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी थे या नहीं. यह पुलिस, न्यायपालिका, सरकारों और महिलाओं के लिए न्याय और गरिमा के प्रति जवाबदेही की मांग को बंद करने की चाल है. इस कथित मठभेड़ की जांच होनी चाहिए और ज़िम्मेदार पुलिसकर्मियों को गिरफ़्तार कर उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए.'

हैदराबाद में रेप पीड़िता के पड़ोसियों ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी. सुबह-सुबह हैदराबाद पुलिस ने महिला डॉक्टर के साथ रेप मामले के अभियुक्त चार युवकों को एनकाउंटर में मार दिया था.

क्या हुआ था?

28 नवंबर को हैदराबाद में एक टोल प्लाजा के पास 26 साल की एक डॉक्टर का जला हुआ शव बरामद हुआ था. जांच में पता चला कि महिला के साथ रेप हुआ था और बाद में हत्या करने के बाद जला दिया था. मेरे बेटे ने ऐसा किया तो उसे फांसी हो- हैदराबाद डॉक्टर मर्डर केस के एक अभियुक्त के पिता

डॉक्टर की दिल दहलाने वाली हत्या

हैदराबाद में 28 नवंबर को एक महिला पशु चिकित्सक के साथ यौन उत्पीड़न के बाद ज़िंदा जलाने की घटना सामने आई. बताया गया कि 27 नवंबर को महिला डॉक्टर एक टोल प्लाजा पर अपनी स्कूटी पार्क कर आगे कैब से गई. वापस लौटने पर उन्होंने अपनी स्कूटी को पंक्चर पाया जिसके बाद महिला ने स्कूटी को टोल प्लाजा पर ही छोड़ कैब से घर लौटने का फैसला लिया. महिला जब टोल प्लाजा पर अपनी स्कूटी लेने गई तब रात के 9 बज रहे थे. उस वक़्त वो अपनी बहन से बात भी कर रही थी. उन्होंने फोन पर अपनी बहन को बताया कि उन्हें अकेले सड़क पर खड़ा होने में डर लग रहा है, अचानक से कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग उन्हें स्कूटी ठीक करने की बात भी बोल रहे हैं.

महिला ने फोन पर ही अपनी बहन को बताया था कि एक ट्रक ड्राइवर उनके पास रुका और उसने स्कूटी ठीक करने की बात कही. जब उन्होंने ट्रक ड्राइवर से स्कूटी ठीक करवाने से इनकार कर दिया तो उसके बाद भी वह उनका पीछा करता रहा. लड़की की बहन ने उन्हें सलाह दी कि वह टोल प्लाजा के पास ही खड़ी हो जाएं, इस पर लड़की राजी नहीं हुई और उन्होंने बताया कि सभी लोग उन्हें घूर रहे हैं जिससे उन्हें डर लग रहा है. इसके बाद लड़की ने अपनी बहन को थोड़ी देर में फोन करने की बात कही, लेकिन इसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया. फिर उनके परिवार के लोगों ने टोल प्लाजा के पास आकर उनकी तलाश की और इसके बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई. 28 नवंबर की सुबह पुलिस स्टेशन से सटे एक इलाके में एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल के नीचे एक अधजली लाश मिलने की सूचना मिली. जिसके बाद महिला डॉक्टर के परिजनों ने आकर शिनाख़्त की. इस घटना को लेकर देश भर में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हुए. घटना के बाद हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में चार संदिग्ध लोगों को गिरफ़्तार किया.

उन्नाव कांड : बेटी को इंसाफ दिलाइए...

उन्नाव में गैंगरेप पीड़ित लड़की के अंतिम संस्कार के बाद किसी छावनी में तब्दील हुए हिन्दूनगर गांव में अब गहमागहमी थोड़ी कम हो गई है. पुलिस वाले अब उतने ही रह गए हैं जो पीड़ित परिवार की सुरक्षा में लगे हैं और उधर बिहार थाने के थानाध्यक्ष समेत सात पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया जा चुका है. रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और परिजनों और प्रशासन के बीच चली लंबी जद्दोजहद के बाद पीड़ित लड़की का शव पास के ही एक गांव में दफनाया गया. परिजनों की मांग थी कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, पीड़ित लड़की की बहन को नौकरी दी जाए, आवास दिया जाए इत्यादि. प्रशासन ने सभी मांगें मानने की घोषणा की. मौके पर मौजूद लखनऊ के कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने कहा कि इन्हें हर वो सुविधा दी जाएगी जो इनकी कमजोर आर्थिक स्थिति के लिहाज से जरूरी है. परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो आवास दिए जाने की भी घोषणा की गई, एक लड़की के भाई के लिए और एक उनके पिता के लिए. उच्चाधिकारियों और मंत्रियों के आश्वासन के बाद परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां बुलाने की ज़िद छोड़कर अंतिम संस्कार के लिए तो तैयार हो गए लेकिन इन सब आश्वासनों पर अमल के लिए सात दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है. पीड़ित लड़की की बहन का कहना था, "अगर सात दिन के भीतर अभियुक्तों को सजा नहीं हुई और मांगें नहीं मानी गईं तो सीएम आवास के सामने आत्मदाह कर लूंगी." उन्नाव के हिन्दूनगर गांव में शनिवार देर शाम जब पीड़ित लड़की का शव पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो गया. लड़की के शव के साथ उनकी बहन, एक भाई और मां थीं तो पिता और दूसरे भाई बहन गांव में ही थे. परिवार के लोगों के सामने सफेद कपड़े में लिपटा शव घर के बाहर रखा गया तो परिजनों की ही नहीं, वहां मौजूद तमाम लोगों की आंखें नम हो गईं. लड़की के बुजुर्ग माता-पिता फूट-फूटकर रो रहे थे.

अंतिम संस्कार से संबंधित तमाम सामग्री की मौजूदगी और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती बता रही थी कि प्रशासन ने रात में ही अंतिम संस्कार कराने की तैयारी कर रखी थी लेकिन पीड़ित परिवार इसके लिए तैयार नहीं था. इसकी जानकारी जब प्रशासनिक अधिकारियों को हुई तो मौके पर मौजूद ज़िलाधिकारी देवेंद्र पांडेय ने कहा कि अंतिम संस्कार कब होना है, इसे परिवार की मजी पर छोड़ दिया गया है. वहीं, लड़की का शव गांव पहुंचने से ठीक पहले राज्य सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उन्नाव ज़िले की प्रभारी मंत्री कमला रानी वरुण ज़िले के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री राहत कोष की ओर से पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने पहुंचे, लेकिन लड़की के पिता का कहना था कि उन्हें पैसा नहीं न्याय चाहिए. अधिकारियों से रोते हुए बोले, "पैसा हमारी बेटी की ज़िंदगी की भरपाई नहीं करेगा. बेटी को इंसाफ दिलाइए, दोषियों को सजा दिलाइए." पीड़ित

परिवार के मिट्टी से बने और छप्पर से ढँके घर के बाहर अधिकारियों, नेताओं, परिजनों और मीडिया के अलावा आस-पास के लोगों का भी जमावड़ा लगा था. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई स्थानीय नेता और विधायक भी वहां जमा थे. स्वामी प्रसाद मौर्य जब 25 लाख रुपए का चेक देने के लिए दरवाजे के सामने आए तो पीछे से समाजवादी पार्टी के विधायक सुनील साजन समेत उनकी पार्टी के कई नेता भी वहां पहुंच गए.सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए कहने लगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेताओं को उनकी पार्टी की सरकार रहते ऐसे मामलों में की गई कार्रवाइयों को याद दिलाने लगे. बहरहाल, वही चेक पीड़ित लड़की के पिता को सौंपा गया, उन्होंने उसे घर के अंदर भिजवा दिया लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता नारेबाजी करने लगे. इस दौरान मंत्री तो चले गए लेकिन सपा नेताओं की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भिड़ंत हो गई. देर तक विवाद चलता रहा और इस बीच, पुलिस वाले एक कार्यकर्ता को जबरन अपने साथ लेते गए. शुक्रवार रात को नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लड़की की मौत के बाद उन्नाव के हिन्दूनगर गांव में आवाजाही अचानक बढ़ गई और उन्नाव समेत राज्य के तमाम हिस्सों में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई जगह प्रदर्शन हुए और दोषियों को सजा देने की मांग की जाने लगी. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ से सीधे उन्नाव पहुंच कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की. प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राज्य सरकार पर जमकर अपना गुस्सा निकाला.

प्रियंका जी रुकीं, लेकिन...

हिन्दूनगर गांव में दाखिल होते ही पीड़ित परिवार के घर से कुछ दूरी पर इस मामले में अभियुक्त बनाए गए लोगों के परिजन भी खड़े थे. जो भी नेता या दूसरा वीआईपी वहां से गुजरता, तो ये लोग अपने परिजनों को निर्दोष बताने और सीबीआई जांच की मांग करने की कोशिश करते. प्रियंका गांधी वापसी में जब उधर से निकलीं तो इन लोगों ने उन्हें घेर लिया. इस मामले में एक अभियुक्त की बहन भी वहां मौजूद थीं. वो बताती हैं, "प्रियंका गांधी पहले हम लोगों से बात करने के लिए गाड़ी से उतरीं लेकिन तब तक किसी ने उन्हें बता दिया कि हम लोग अभियुक्तों के परिजन हैं. इतना सुनते ही प्रियंका गांधी चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गईं और हम लोगों से एक शब्द भी नहीं बोलीं." अभियुक्तों के परिजन भी सुबह से वहीं खड़े थे और आने-जाने वाले शख्सियतों पर नजर बनाए हुए थे. जो कोई भी उधर से गुजरता, उसे रोकर अपनी व्यथा सुनाने लगते. मीडिया से भी लगातार बात कर रहे थे लेकिन उनकी शिकायत भी थी कि मीडिया उनसे बात जरूर कर रहा है लेकिन उसे कहीं दिखा नहीं रहा है यानी उनकी आवाज दबा दी जा रही है. अभियुक्तों के परिजनों ने श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने भी उनकी एक न सुनी. बाद में मीडिया से बातचीत में स्वामी मौर्य बोले, "पीड़िता ने जिनका भी नाम लिया है और जो भी इस मामले में दोषी हैं उन्हें तत्काल और सख्त सजा दिलाई जाएगी." इधर, पीड़ित लड़की के पिता आने-जाने वालों या फिर मीडिया से बातचीत में व्यस्त थे. शनिवार को दोपहर दो बजे के करीब बीबीसी से भी उन्होंने बातचीत की. इससे एक दिन पहले भी उन्होंने बीबीसी से बात की थी और घटना के लिए पकड़े गए अभियुक्तों को दोषी ठहरा रहे थे. शनिवार को उनका कहना था, "सरकार यदि हमारे साथ न्याय करना चाहती है तो दोषियों को वही सजा दिलाए जो कि हैदराबाद में गैंगरेप के दोषियों को दी गई. अगर ऐसा कर सके तो ठीक है, नहीं तो हम चाहते हैं कि हमारे घर के ऊपर बम गिरा दे और हम परिवार सहित नष्ट हो जाएं."

अभियुक्तों के परिजनों का डर

और, अभियुक्तों के परिजनों को भी यही डर सता रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि 'हैदराबाद वाली न्याय प्रणाली' यहां भी अपनाई जाए. हिन्दूपुर गांव की करीब ढाई हजार की आबादी में इस घटना के बारे में शायद ही कोई कुछ बताए. पीड़ित लड़की के घर से आगे जाने पर कुछ दूर एक पुराना मंदिर है. उसके पास कुछ लोग जमा थे. उनमें से एक सज्जन कहने लगे, "कोई कुछ इसलिए नहीं बोल रहा है कि क्योंकि अनावश्यक परेशानी में कोई पड़ना नहीं चाहता." वहीं मंदिर के दूसरी ओर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाने वाले राजेश अपनी दुकान बंद करने ही जा रहे थे. हमें देखकर रुक गए और उन्होंने बातचीत भी की. बोले, "इस मामले में कौन सही है, कौन नहीं ये हम नहीं जानते. लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हमारे गांव में आज तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है. कभी कुछ ऐसी घटना भी नहीं होती कि पुलिस आए और सच बताऊं तो हमारे गांव वालों ने इतनी ज्यादा पुलिस शायद पहली बार देखी होगी."

हैदराबाद में बलात्कारियों के हुए एनकाउंटर पर बिहार में राजनीति शुरू!

हैदराबाद बलात्कार कांड के आरोपी चार युवकों के मामले की तहकीकात के दरम्यान हुए पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों को लेकर जहां आम जनता में खुशी की लहर है वहीं बिहार के राजनेता के स्वर बदले-बदले नजर आने लगे हैं। हलांकि इस मसले पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीड़ित लड़कियों के दर्द को महसूस करें और उनके परिजनों की जगह पर खुद को खड़ा कर सोचिए तो इसका ऐहसास होगा। मुठभेड़ में मारे गए दोषियों को लेकर पुलिस की ये कार्यवाही देश के लिए नजीर बन गया है। लेकिन बिहार में इस मसले पर नेताओं की अलग-अलग राय ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।

जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले के बाद कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था को हर हालत में सुदृढ़ रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है इससे युवा पीढ़ी की मानसिकता भी प्रभावित हो रही है। पोर्न साईट पर इंटरनेट के माध्यम से गंदी चीजें चलायी जाती हैं इससे युवाओं की मानसिकता पर बूरा प्रभाव पड़ता है। उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बिहार के साथ-साथ पूरे देश में पोर्न साइट पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे।

वहीं इन्हीं की सरकार में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हैदराबाद एनकाउंटर पर बोले कि मॉब लिंचिंग का यह तरीका ठीक नहीं है, बल्कि अपराधियों को कोर्ट के माध्यम से सजा दी जाती तो अच्छा होता। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने जो एनकाउंटर की कहानी सुनाई है वो अजीब तरीके की है।

हलांकि इस तरह के उपजे सवाल पर बिहार में विरोधी की भूमिका में काम करने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव का मानना है कि बलात्कारियों का यही अंजाम होना चाहिए। फैसला ऑन द स्पॉट, जो देश के लिए नजीर साबित होगा। लेकिन बेटियों का जिनके अपने घरों में यौन शोषण हो रहा है उनका एनकाउंटर कैसे होगा। आसाराम, चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, राम रहीम का एनकाउंटर होगा तो वो एक उदाहरण साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस घटना से आहत होते हुए कहा कि मैं इस तरह की घटना को सुन व्यथित हो जाती हूं, नेता से पहले मैं एक मां हूं। बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यहां की विधि व्यवस्था ध्वस्त हो गया है और गुंडे, बलात्कारी मस्त है। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह के आरोपियों को अब तक सरकार सजा क्यों नहीं दी, फिर ये सवाल नीतीश कुमार से क्यों नहीं पूछी जाती। जबकि राजद के पूर्व सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह ने हैदराबाद में पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कानून के अंदर ही कार्रवाई होनी चाहिए, एनकाउंटर का जांच कर देश को बताना होगा। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि बिहार की सत्ता और विपक्ष हैदराबाद एनकाउंटर मसले पर राजनेताओं के अलग-अलग राय हैं। कोई इसे बेहतर कदम बता रहा है तो कोई इसे कानूनी प्रक्रिया के मातहत कदम उठाने की बात कर रहा। अब ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि देश में चाहे कहीं भी किसी लड़की के साथ बलात्कार होती हो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बल्कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाले दोषियों का हश्र यही होना चाहिए। मगर ये लोकतंत्र है साहब यहां राजनीतिक गोटियां भी सेंकने के लिए राजनेता अपने जमीर को बेंचने से बाज नहीं आएंगे।

एनकाउंटर और मानवाधिकार

यह अनुचित है कि हैदराबाद के एनकाउन्टर पर जहां देश में चारों ओर स्वागत हो रहा है वहीं हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने चिंता जताते हुए इसकी जॉच की मांग करी है। क्या इन तथाकथित मानवतावादियों को दर्दनाक मौत की पीड़िता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी ? इन मानवाधिकारियों का जिस दिन (27 नवंबर) यह दुर्दान्त घटना घटी थी और एक अबला को दरिंदों का शिकार बनाया गया था, तो क्या उनका लगभग नों दिन मौन रहना उचित था ? क्या यह अपने आप में संदेहजनक नहीं कि 6 दिसम्बर के उषाकाल में हुए दोषियों के एनकाउंटर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उसी दिन इसका सज्ञान लिया ? दुर्जनों और सज्जनों में भेद करके मानवाधिकारवादियों का इच्छानुसार सक्रिय होना कहां तक उचित है ?अनेक अवसरों पर यह पाया जाता रहा है कि मानवाधिकारियों को केवल अपराधियों व आतंकवादियों के हितों की चिंता होती है। इनकी कार्यशैली में कभी भी प्रताड़ित निर्दोष व मासूमों के अधिकारों के प्रति कोई संवेदना नहीं होती। यह भी विचार करना होगा कि जब ऐसे जघन्य अपराधियों को मानवीय मूल्यों की न तो कोई समझ है और न ही कोई संवेदेनशीलता तो फिर पशु समान ऐसे अत्याचारी दानवों के मानवाधिकार होने ही नहीं चाहिये।

निसन्देह जब देश में न तो अपराध कम हो रहे और न ही रुक रहे, तो इसका दोष केवल हमारी शिथिल न्यायायिक व्यवस्था व कमजोर कानूनों को माना जाय तो अनुचित नहीं होगा। सामान्यतः अपराधी अधिकांश वहीं होते हैं जो पूर्व में भी कई-कई अपराधों में लिप्त रहते हैं।कानून के सरल व अनेक कमियों के कारण ही अधिकांश आरोपी बार-बार छूटते रहते हैं जिससे वे उत्साहित होकर अपराध जगत में बने रह कर उसे ही अपना धंधा बना लेते है। आज जब मानवाधिकारवादियों के कारण जेलों में भी अपराधियों का अच्छा जीवनयापन हो रहा हो तो आरोपियों को बार-बार जेल जाने व वहां रहने में भी कोई भय नहीं होता।

हैदराबाद की एक पशु चिकित्सक युवती के साथ सामुहिक दुष्कर्म करके जला कर मार देने जैसी दर्दनाक घटना के घटने के उपरांत पकड़े गए दोषियों का पुलिस बन्धन से मुक्त होकर आक्रामक होना और भागने का प्रयास किये जाने से अपराधियों के दुःसाहस का पता चलता है। तो फिर ऐसे में क्या पुलिस बल मौन रहें और अपनी सम्भावित मौत तक वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की प्रतीक्षा करे। संविधान की शपथ लेने वाले सुरक्षाकर्मियों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे अवसर पर तुरंत निर्णय लेकर कानून की रक्षा करे। जघन्य अपराध व आतंकवाद को रोकने के लिए अपराधियों व आतंकियों का एनकाउंटर करना या करवाना राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। अतः ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में होने वाले एनकाउंटरों पर कोई विवाद नहीं होना चाहिये।

वर्षो पूर्व (15 जून 2004) लश्करे-ए-तोइबा की फिदायीन आतंकी इशरत जहां व उसके तीन अन्य आतंकवादी साथियों का अगर समय रहते आधी रात को अहमदाबाद में एनकाउंटर न हुआ होता तो आज देश में इस्लामिक जिहाद का बड़ा रूप देखा जा सकता था। स्मरण रहे कि उस समय हमारे वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी इन आतंकियों का मुख्य लक्ष्य थे। उस समय मोदी जी जिनका कोड मछली न.5 था गुजरात के मुख्य मंत्री थे।

यह भी विचार करना अनुचित नहीं कि संविधान का पालन करते हुए अपराधियों व आतंकवादियों को अगर मुठभेडों (एनकाउंटरों) में नहीं मारा जायेगा तो राष्ट्र की सम्प्रभुता, एकता व अखंडता और सभ्य समाज की सुरक्षा कैसे हो पायेगी? यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सुरक्षाबल व पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान के पालन की शपथ दी जाती है। अतः उनसे यह आशा रखनी ही चाहिये कि वे अपने-अपने स्वार्थों व राजनेताओं के दबावों से बचते हुए समाज व राष्ट्र के हितों की प्राथमिकता के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अतः एनकाउंटरों को विवादित न बना कर उनसे होने वाले राष्ट्रीय व सामाजिक हितों पर चर्चा होनी चाहिये। राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र की सर्वोपरिता बनाये रखना भी विभिन्न राजनैतिक दलों, बुद्धिजीवियों व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवम इससे संबंधित समस्त संस्थाओं का दायित्व होना चाहिये।

विकास और विश्वास के साथ रघुवर सरकार ने किया झारखंड का कायाकल्प

महिला सशक्तिकरण से लेकर सबको रोजगार और सबको आवास के साथ साथ हर क्षेत्र में हुआ सबसे ज्यादा काम

गौतम सुमन गर्जना

सेवा,विकास और विश वास के 5 साल के इतिहास में पहली बार झारखंड योजनाओं की फसल से लहलहा रहा है। पिछले 5 वर्षों में रघुवर दास की सरकार ने झारखंड राज्य का कायाकल्प कर दिया है। योजनाएं लोगों तक सीधे पहुंचने लगी हैं और कहीं भी शोषण एवं बिचौलिए की भूमिका दिखती नहीं है। रघुवर दास ने विश्वास के साथ विकास की फसल पिछले 5 वर्षों में झारखंड की भूमि पर उगाई है। सरकार के इन अच्छे कामों का पुरस्कार तो रघुवर सरकार को अवश्य मिलेगा। रघुवर दास की सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों का फायदा झारखंड के 35 लाख किसानों को जबर्दस्त तरीके से हुआ है। उन्हें खेती से जुड़े तमाम उपक्रमों के लिए और व्यवस्था के लिए रघुवर दास की सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपए किसानों के बीच खर्च किए हैं। जिन किसानों को 1 एकड़ तक जमीन है, उन्हें 5 हजार और 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को 25 हजार मिल रहे हैं; साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रत्येक किसान को 6 हजार रुपये भी मिल रहे हैं। यानी कम से कम 11 हजार रुपए और अधिकतम 31हजार रुपए का लाभ किसानों को मिल रहा है। इससे झारखंड की खेती किसानी में जबरदस्त क्रांतिकारी प्रभाव आया है और किसान अपने खुशहाली के गीत गा रहे हैं। झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं का सशक्तिकरण किया है।इससे झारखंड देश का पहला इकलौता राज्य है, जहां पहले और दूसरे सिलेंडर का रिफलींग और चूल्हा भी मुफ्त दिया गया है। अब तक झारखंड में 33 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है और जल्द ही झारखंड के हर गरीब बहन को घर में गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। गैस का कनेक्शन देने से जहां महिलाओं को कई तरह की बीमारियों से राहत मिलती है,वहीं उनमें आत्मविश्वास का भाव जगता है और इससे नारी सशक्तिकरण में बढ़ावा मिल रहा है। दूसरे राज्यों में जमीन के रजिस्ट्री शुल्क में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बिहार इसका उदाहरण है, जहां रजिस्ट्री शुल्क जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया गया है। इस कारण जमीन की खरीद-फरोख्त में कमी आई है, जिसका असर सरकारी रेवेन्यू पर पड़ा है। वहीं झारखंड सरकार ने महिलाओं के हाथ मजबूत करने के लिए झारखंड की महिलाओं के लिए 50 लाख रुपया तक की मकान जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ 1 रुपए में करने की शुरूआत की और इस योजना का लाभ उठाने के लिए नजदीकी रजिस- ट्री कार्यालय को निर्देश दिए गए। इस योजना का लाभ अब तक लगभग डेढ़ लाख से ज्यादा महिलाओं ने उठाया है और वे मकान मालकिन और जमीन मालकिन बन गई हैं। इससे महिलाओं की

सामाजिक और आर्थिक हैसियत में वृद्धि हुई है और वह अब सामाजिक विकास का माध्यम बन गई हैं। उन्हें महसूस होने लगा है कि सरकार उनके बारे में सोच रही है और यह पहली सरकार है जो महिलाओं के लिए हर तरह की योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है और महिलाओं की क्रिएटिविटी यानी उनकी क्रियाशीलता में वृद्धि कर रही है। झारखंड सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को भी बड़ी ही मुस्तैदी के साथ अपने राज्य में लागू किया है। रघुवर दास की सरकार ने झारखंड के 57 लाख गरीब परिवारों का 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना करवाया है। अब गरीबों को इलाज में पैसा बाधा नहीं बनेगा और वे अमीरों की ही तरह स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे और उन्हें खाने कमाने के अलावा स्वास्थ्य चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने सबको गोल्डन कार्ड मुफ्त में बनवा कर दिया है और इसका लाभ व विभिन्न अस्पतालों में एवं डॉक्टरों के पास उठा रहे हैं। जहां दूसरे राज्यों में एंबुलेंस और इमरजेंसी सेवा ठेकेदारी का माध्यम बन गया है और इसमें डॉक्टरी लूट भी शामिल होती है, लेकिन रघुवर दास की सरकार ने मुफ्त एंबुलेंस सेवा की शुरूआत अपने राज्य में की है। एंबुलेंस सेवा में तमाम अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण जैसे वेंटिलेटर,बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगे हुए हैं, ताकि किसी भी हालत में मरीज की जान बचाई जा सके। झारखंड में अब तक 2 लाख 25 हजार से ज्यादा मरीजों को एंबुलेंस के माध्यम से त्वरित इलाज मुहैया कराया गया है। बेटियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना भी बड़ी तत्परता के साथ पूरे राज्य में लागू की गई है। बेटियों को पढ़ाना और उसकी शादी की कुशल जिम्मेदारी भी सरकार निर्वहन कर रही है। बेटी के जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक 30 हजार और 18 साल की आयु होने पर 10 हजार सरकार दे रही है; साथ ही बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अलग से 30 हजार दिए जाते हैं। इससे बेटी का जन्म अब परिवार में खुशी का कारण बन रहा है। बेटियां लक्ष्मी समझी जाने लगी है और परिवार के लोग भी बेटियों को पढ़ाने के लिए एवं उसके कुशल पोषण पर ध्यान देना शुरू कर दिए हैं,जिससे महिला सशक्तिकरण का विस्तार होने लगा है। महिलाओं के साथ- साथ रघुवर सरकार की नजर रोजगार पर भी है। यानी कि सरकार का लक्ष्य है उनके राज्य में युवाओं को रोजगार मिले और कोई भी हाथ खाली ना हो, कोई भी हाथ बेकार ना हो। इसके लिए सरकार ने 50 हजार सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया जारी की है। सखी मंडल के जरिए 20 लाख से ज्यादा बहनों को तथा मुद्रा लोन के जरिए 15 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। कौशल विकास के जरिए 1लाख 90 हजार से ज्यादा युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं साथ ही सरकार ने अब तक 1 लाख स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी और 36 लाख झारखंड वासियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। रोजगार के साथ-साथ आवासन के क्षेत्र में भी रघुवर दास की सरकार ने काफी काम किया है। लोगों को आवास मुहैया हो, इसके लिए योजनाएं त्वरित गति से लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रघुवर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए एक लाख से ज्यादा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के तहत 4

लाख 67 हजार से ज्यादा आवास उपलब्ध कराएं हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक झारखंड में हर गरीबों का अपना घर होगा और हर भूमिहीनों को भूमि मुहैया कराई जाएगी।

4 साल पहले झारखंड की कृषि फसल विकास दर माइनस 4.5 प्रतिशत थी, लेकिन रघुवर दास सरकार के प्रयासों और किसानों की मेहनत से 4 साल में कृषि विकास दर 14.2 प्रतिशत हो गई यानी 19 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई,यह मुख्यमंत्री रघुवर दास की इमानदारी पारदर्शिता और सुशासन के परिणाम से संभव हो पाया। रघुवर सरकार के द्वारा राजपत्रित अधिकारियों को छोड़ सभी सरकारी नौकरियां सिर्फ झारखंड के स्थानीय नागरिकों को देने का निर्णय स्वागत योग्य है। नीति आयोग ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के मामले में झारखंड को देशभर में पहला स्थान दिया है। व्यवसायिक उन्नति के क्षेत्र में 2014 में झारखंड जहां 29 वें स्थान पर था वहीं आज देश में झारखंड व्यवसायिक उन्नति के मामले में चौथे स्थान पर है। आदिवासी कल्याण को प्रमुखता देकर रघुवर दास की सरकार ने आदिवासी संस्कृति को अक्षुण ण रखने के लिए झारखंड में जबरन या लालच देकर धर्मांतरण को अपराध घोषित किया और इस पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार ने सख्त कानून बनाकर दोषियों के लिए 1लाख का जुमार्ना और 4 साल कैद का नियम लागू करवाया। आज झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ भी रहा है और तीव्र गति से बढ़ भी रहा है। 2014 में सिर्फ 3,269 स्कूलों में बेंच-डेस् क थे, जबकि रघुवर सरकार ने सभी 34,939 स्कूलों में बेंच-डेस्क लगवा कर वहां बिजली पानी एवं शौचालय की सुदृढ़ व्यवस्था की। 2014 मे राज्य में सिर्फ 32 आईटीआई थे जबकि रघुवर सरकार के कार्यकाल में 27 नए आईटीआई और बने आज इनकी संख्या 59 है। उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए इस 5 साल के सुशासित कार्यकाल के दौरान 12 जिलों में महिला महाविद्यालय, 13 जिलों में मॉडल महाविद्यालय एवं 27 अन्य डिग्री महाविद्यालयों सहित कुल 52 नए महाविद्यालयों की स्थापना की गई, इसके अलावा 13 पॉलिटेक्निक संस्थान भी खोले गए हैं। आज इनके सुशासन का ही परिणाम है कि यहां नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। 2014 के मुकाबले में आज नक्सली घटनाओं में 60% से ज्यादा की कमी आई है। इस दौरान 61 हाईकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। राज्य में आज लोग 24 घंटे बेखौफ होकर कहीं भी आ-जा रहे हैं। हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प लेकर रघुवर दास की सरकार ने केवल अपने कार्यकाल में राज्य के 30 लाख घरों तक बिजली पहुंचाने का इतिहास रचा है और 2022 तक झारखंड को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिये हुआ है। 2014 के पहले महज 12 प्रतिशत आबादी तक यहां पेयजल की सुविधा थी, जिसे रघुवर सरकार ने 34.77 प्रतिशत तक पहूंचाकर बडा. ही प्रशंसनीय कार्य किया है। रघुवर सरकार ने जनता से सीधा संवाद कार्यक्रम लागू कर स्वच्छता के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। झारखंड में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े भाई- बहनों को 10% फीसदी आरक्षण दिया गया है।

नीति आयोग द्वारा देश भर की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में झारखंड के आकांक्षी जिले हर सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आधारभूत संरचना हो या पानी,बिजली,शिक्षा,चिकित्सा, आवास आदि के क्षेत्र में झारखंड लगातार सबसे ऊंचे पायदान पर परचम लहरा रहा है। लोग आज झारखंड वासी होने पर अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल में रघुवर सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में 350 लोगों से अधिक लोगों को जेल की सलाखों में कैद करवाया है। रघुवर दास सरकार के 5 साल के कुशल कार्यकाल के बदौलत झारखंड की पहचान आज देशभर में विकास के लिए होती है।

झारखंड के समग्र विकास की बाबत मुख्यमंत्री रघुवर दास कहते हैं कि उन्हें विकास परम प्रिय है। वह न्याय पूर्ण विकास चाहते हैं, जिसकी पहुंच हर उस आम आदमी तक हो, जो प्रायः सियासत की दो रंगी नीति का शिकार हो जाते हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। मुख्यमंत्री रघुवर दास जी यह भी कहते हैं कि वह झारखंड में एक नया बिहान देखना चाहते हैं, जो राज्य संसाधनों से भरा-पूरा है, उसे विकास के लिए तरसना पड़े,ऐसा कदापि नहीं होगा और वे कहते हैं कि मैने जिस मुस्तैदी के साथ अपनी कल्याणकारी योजनाओं को 5 वर्षो के अंदर अमलीजामा पहनाया है, आगे भी पहनाते रहेंगे। समाज का कोई भी वर्क लाभकारी योजनाओं से वंचित नहीं होगा। सभी को योजनाओं का लाभ मिलेगा और एक सुंदर बिहान फिर से झारखंड की धरती पर होगा। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्षो की रघुवर दास की सरकार ने झारखंड का विकास त्वरित गति से किया है। संसाधनों का उचित इस्तेमाल हो रहा है और सरकार ने भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाया है। लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल जाए, इसके लिए किसी तरह की बाधा उपस्थित ना हो इसके लिए रघुवर दास ने पूरी कड़ाई का पालन करवाया है और इसके लिए प्रशासन हमेशा चौकन्ना रहता है कि उससे कहीं भूल ना हो जाए और वह जनता के लिए लगातार कार्य करता रहे, क्योंकि झारखंड की रघुवर दास सरकार का यही लक्ष्य है। वह विकास, हाथों में रोजगार और महिला सशक्तिकरण को अमलीजामा पहनाने में भी वे कारगर साबित हुई है । बहरहाल, झारखंड के लोग शिक्षित व विवेकशील हैं। वह प्रजातंत्र का वास्तविक लाभ उठाना भली-भांति जानते हैं। मतदान के दौरान वह कभी भावना में नहीं बहते,बल्कि विवेकशील होकर मतदान करते हैं। इसलिए अपने कुशल कार्यकाल के बदौलत एक बार फिर रघुवर दास की सरकार झारखंड में बनना तय है, इनमें कोई संदेह नहीं है।

गुरू डॉ. एम. रहमान

पेशे से शिक्षक डॉ. एम. रहमान समाज के लिए एक मिसाल हैं। खजांची रोड इलाके के रहने वाले 41 वर्षीय डॉ. रहमान अब तक सौ से अधिक लड़कियों का कन्या दान करा चुके हैं। उन्होंने खुद भी सामाजिक बंधनों को तोड़ते हिंदू महिला से शादी की है। शादी के बाद इनकी पी आज भी हिंदू धर्म का पालन कर रही हैं। कन्या दान के बारे में डा. रहमान बताते हैं कि जब भी कोई गरीब व्यक्ति उनके पास अपनी बेटी की शादी के लिए आता है, तो उसकी हर संभव मदद करते हैं और ज्यादातर मामलों में कन्यादान भी करते हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले देहदान का भी संकल्प लिया है।

कुरान के साथ वेद के अच्छे जानकार

नवादा के मुन्ना जी है सहयोगी

डॉ.एम रहमान अपने विचार और कर्म पर विश्वास रखते हैं। डॉ. रहमान कुरान के साथ वेद के भी अच्छे जानकार हैं। इनका जन्म सारण जिला के बसंतपुर में 10 जनवरी 1974 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा डेहरी ऑन सोन से प्राप्त किया। उसके बाद स्नातक करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चले गए। यहां से उन्होंने प्राचीन भारत एवं पुरातत्व में स्नातक और मास्टर्स भी किया। इसके बाद कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में वह पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे, जहां यूजीसी ने उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया। साल 1997 में इन्होंने ऋगवेद कालीन आर्थिक एवं सामाजिक विश्लेषण विषय पर पीएचडी पूरी की। इनके पूरे अभियान के इनके सहयोगी हैं मुन्ना जी जो पूरे संस्थान के व्यवस्थापक है।

साल1997 में किया प्रेम विवाह

डॉ.रहमान ने 1997 प्रेम विवाह किया। इनकी पत्नी का नाम अमिता है, लेकिन अंतरधार्मिक विवाह करने के कारण समाज और उनके घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं हुआ। रहमान बताते हैं कि घर वाले अमिता को इस शर्त पर अपनाने को राजी थे कि वह इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले डॉ. रहमान को यह मंजूर नहीं था। इन्होंने पी पर कभी कोई दबाव नही बनाया। इस कारण घर वालों ने उनसे नाता तोड़ लिया और आज तक वे अपने परिवार वाले से मिलने नहीं गए। शादी के लगभग सात वर्षों तक दोनों पति-पत्नी अलग रहे। रहमान लॉज में और अमिता गर्ल्स हॉस्टल में रहीं। भाड़ा चुकाने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी।

पीके साथ से ही है जीवन

डॉ.रहमान कहते हैं कि आर्थिक सहयोग नहीं मिलने के कारण यह दौर काफी कठिन था। किसी तरह कुछ दिन गुजरे। बाद में प्रो. विनय कंठ की कोचिंग में पढ़ाने का मौका का मिला। इससे महीना में तीन-चार हजार रुपए आने लगे। साल 2004 में इनकी एक किडनी खराब हो गई। इलाज कराने के दौरान इनका सारा पैसा खर्च हो गया। इस वजह से इनकी पी को गहना तक बेचना पड़ा। काफी इलाज के बाद भी जब रोग ठीक नहीं हुआ तो इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लिया। इससे इन्हें काफी आराम मिला। इसी के बल पर यह आज तक स्वस्थ हैं और घंटों तक छात्र-छात्राओं को पढ़ाते हैं।

गुरुकुल की स्थापना की

गरीबबच्चों को शिक्षा देने के लिए इन्होंने अपनी बेटी अदम्या अदिति के नाम पर 2010 में संदलपुर इलाके में अदम्या अदिति गुरुकुल की नींव रखी। ये प्रयासरत थे कि यहां एक अनाथालय का निर्माण कराया जाए, जिसमें सैकड़ों गरीब बच्चों को मुफ्त में खाने-पीने, रहने और शिक्षा की व्यवस्था हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जमीन का मामला अभी कोर्ट में है। डॉ. रहमान कहते हैं कि वह स्वच्छ और संस्कारी भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं। समाज की कुरीतियों जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि का कारण अशिक्षा को मानते हैं। वे कहते हैं भारत की विचारधारा अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। वापस उसी विचारधारा पर जाने के लिए यहां कलम से क्रांति करनी होगी, जिसके लिए युवाओं को आना होगा।

बिहारी बाबू कल आज और कल

शत्रुघ्न सिन्हा एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ हैं। हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को लोग 'बिहारी बाबू' के नाम से जानते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 9 दिसम्बर, 1945 में हुआ था। पिता भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा तथा माता श्यामा देवी थीं। शत्रु के पिता पेशे से चिकित्सक थे, इस वजह से उनकी इच्छा थी कि बेटा शत्रु भी डॉक्टर बने। लेकिन शॉटगन को ये मंजूर नहीं था। अपने चार भाईयों में सबसे छोटे शत्रुघ्न सिन्हा को घर में सभी लोग छोटका बबुआ कहा करते थे। शत्रुघ्न भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे से स्नातक हैं।

शत्रुघ्न सिन्हा की इच्छा बचपन से ही फिल्मों में काम करने की थी। अपने पिता की इच्छा को दरकिनार कर वे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में प्रवेश लिया। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद वे फिल्मों में कोशिश करने लगे। लेकिन कटे होंठ के कारण किस्मत साथ नहीं दे रही थी। ऐसे में वे प्लास्टिक सर्जरी कराने की सोचने लगे। तभी देवानंद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने वर्ष 1969 में फिल्म ह्यसाजन के साथ अपने कैरियर की शुरूआत की थी। पचास-साठ के दशक में के.एन. सिंह, साठ-सत्तर के दशक में प्राण, अमजद खान और अमरीश पुरी। और इन्हीं के समानांतर फिल्म एण्ड टीवी संस्थान से अभिनय में प्रशिक्षित बिहारी बाबू उर्फ शॉटगन उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हिन्दी सिनेमा में होती है। यह वह दौर था जब बहुलसितारा (मल्टी स्टारर) फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धन बरसा रही थीं।

अपनी ठसकदार बुलंद, कड़क आवाज और चाल-ढाल की मदमस्त शैली के कारण शत्रुघ्न जल्दी ही दर्शकों के चहेते बन गए। आए तो वे थे वे हीरो बनने, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें खलनायक बना दिया। खलनायकी के रूप में छाप छोड़ने के बाद वे हीरो भी बने। जॉनी उर्फ राजकुमार की तरह शत्रुघ्न की डॉयलाग

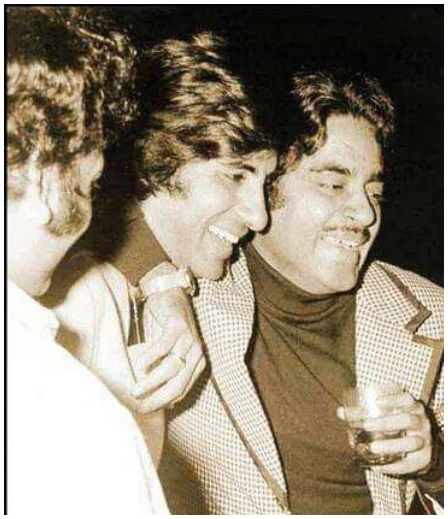

डिलीवरी एकदम मुंहफट शैली की रही है। यही वजह रही कि उन्हें 'बड़बोला एक्टर' घोषित कर दिया गया। उनके मुँह से निकलने वाले शब्द बंदूक की गोली समान होते थे, इसलिए उन्हें 'शॉटगन' का टाइटल भी दे दिया गया। शत्रुघ्न की पहली हिंदी फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल निर्देशित 'साजन' (1968) के बाद अभिनेत्री मुमताज की सिफारिश से उन्हें चंदर वोहरा की फिल्म 'खिलौना' (1970) मिली। इसके हीरो संजीव कुमार थे। बिहारी बाबू को बिहारी दल्ला का रोल दिया गया। शत्रुघ्न ने इसे इतनी खूबी से निभाया कि रातों रात वे निमार्ताओं की पहली पसंद बन गए। उनके चेहरे के एक गाल पर कट का लम्बा निशान है। यह निशान उनकी खलनायकी का प्लस पाइंट बन गया। शत्रुघ्न ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन में इस 'कट' का जबरदस्त इस्तेमाल कर अभिनय को प्रभावी बनाया है।

उस दौर के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के साथ शत्रुघ्न की एक के बाद एक अनेक फिल्में रिलीज होने लगीं। 1979 में यश चोपड़ा के निर्देशन की महत्वाकांक्षी फिल्म 'काला पत्थर' आई थी। इसके नायक अमिताभ थे। यह फिल्म 1975 में बिहार की कोयला खदान चसनाला में पानी भर जाने और सैकडों मजदूरों को बचाने की सत्य घटना पर आधारित थी। इस फिल्म में शत्रुघ्न ने मंगलसिंह नामक अपराधी का रोल किया था। इन दो महारथियों की टक्कर इस फिल्म में आमने-सामने की थी। काला पत्थर तो नहीं चली लेकिन अमिताभ-शत्रु की टक्कर को दर्शकों ने खूब पसंद किया। आगे चलकर अमिताभ-शत्रुघ्न फिल्म दोस्ताना (निर्देशक- राज खोसला), शान (निर्देशक- रमेश सिप्पी) तथा नसीब (निर्देशक- मनमोहन देसाई) जैसी फिल्मों में साथ-साथ आए।

लगभग चार दशकों में शत्रुघ्न सिन्हा ने कम से कम 200 हिन्दी फिल्मों में काम किया है। सिन्हा फिल्मों में अपने नकारात्मक चरित्र के लिए जाने गये। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में ह्यरामपुर का लक्ष्मण, ह्यकालीचरण मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के साथ की फिल्मों में ह्यदोस्ताना, ह्यकाला पत्थर, ह्यशान और ह्यनसीब इत्यादि हैं। फिल्म 'क्रांति' (1981-मनोज कुमार), वक्त की दीवार (1981-रवि टंडन), नरम-गरम (1981-ऋषिकेश मुखर्जी), कयामत (1983-राज सिप्पी), चोर पुलिस (1983-अमजद खान), माटी माँगे खून (1984-राज खोसला) और खुदगर्ज (1987- राकेश रोशन) का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। उन्होंने पंजाबी फिल्म ह्यपुत्त जट्टां दे और ह्यसत श्री अकाल में भी अभिनय किया है। अभिनय के अलावा उन्होंने ह्यकशमकश, ह्यदोस्त और ह्यदो नारी जैसी फिल्मों में गाने में भी हाथ आजमाया। हाल में रिलीज हुई रामगोपाल वर्मा की फिल्म ह्यरक्तचरित्र में उन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव की भूमिका निभाई जिसके लिए उन्होंने पहली बार अपनी मूछें साफ करवाई।

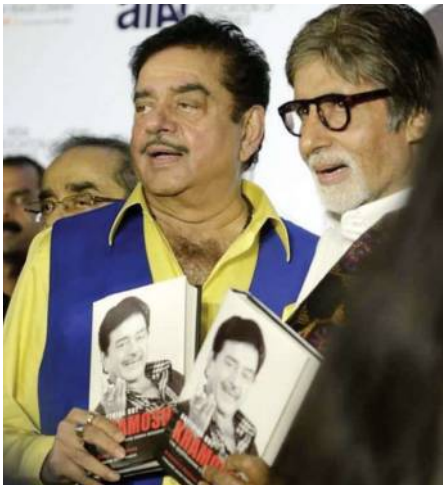

मदद के लिए आगे आया एलिट इंस्टीच्यूट

अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही बिहार की बेटी मिताली प्रसाद को अफ्रीका की सबसे ऊँचे पर्वत की चढ़ाई के लिये सरकारी सहायता नहीं मिल पाई इसके बाद मिताली ने अपने स्तर से इस अभियान के लिए फंड जुटाना शुरू किया इसी क्रम में आज पटना के एलिट इंस्टीच्युट मे मिताली पहुंची थी जहां संस्थान के निदेशक अमरदीप झा गौतम ने बिहार की इस बेटी को आर्थिक मदद भी की और शुभकामनाएं भी दी. शिक्षा के बाजारवाद के दौर में पटना का यह संस्थान छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ ही साथ संस्कार भी प्रदान करता है. संस्थान के निदेशक अमरदीप झा गौतम अपने रचनात्मक कार्यों के लिए चर्चा में रहते है।

दरभंगा स्नातक एमएलसी चुनाव में युवाओं की पसन्द बन के उभर रहे हैं रजनीकांत पाठक

दरभंगा।इस बार दरभंगा स्नातक चुनाव 2020 में युवा समाजसेवी रजनीकांत पाठक का नाम तेजी से उभरा है। मूल रूप से बखरी के निवासी रजनीकांत पाठक सोशल वेलफेयर में मास्टर डिग्री हैं।सामाजिक गतिविधियों में पिछले 15 वर्षों से सक्रिय रहे हैं। देश स्तर पर कई संस्था इन्हें सम्मान भी कर चुकी है। जुलाई 2019 से स्नातक के दरबार में कार्यक्रम चला कर रजनीकांत पाठक ने वैसे सामान्य स्नातक को भी दरभंगा स्नातक एमएलसी चुनाव का मतदाता बनने के लिये प्रेरित किया जो आज तक इस चुनाव की प्रक्रिया

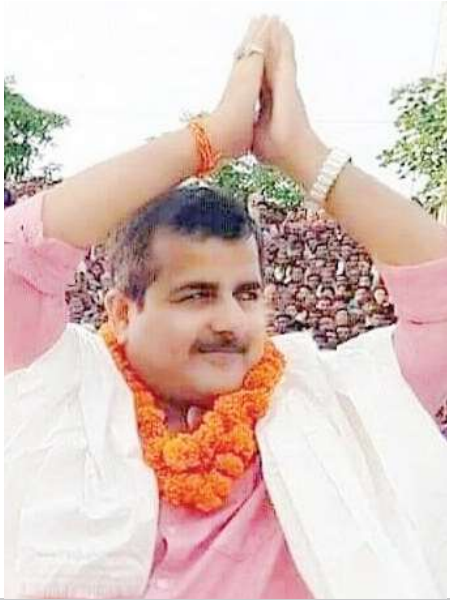

से अनजान थे।दरभंगा स्नातक के कुल 77 प्रखण्ड में जाकर रजनीकांत पाठक ने ह्लस्नातकों के दरबार मेंह्व कार्यक्रम चला कर इस बार सामान्य स्नातक को भारी संख्या में मतदाता बनाने में कामयाबी हासिल की है।

रजनीकांत पाठक बताते हैं कि इस बार का चुनाव गुपचुप नहीं होने जा रहा है।इस बार स्नातक मतदाता परिवार के खिलाफ है।मधुबनी,दरभंगा,समस्तीपुर और बेगुसराय में एक अनुमान के अनुसार 50 से 60 प्रतिशत नए मतदाता बने है।इस बार 25 से 40 वर्ष के उम्र के मतदाता 60 प्रतिशत से भी अधिक हैं।

आपको बता दें कि समाजवादी सोच रखने वाले रजनीकांत पाठक से किसी दल से समर्थन संबंधित बात पूछी जाती है तो मुस्कुरा कर सवाल टालते हुए कहते हैं इस बार लोग दिल की सुनेंगे और दिल जो कहेगा वही करेंगे. रजनीकांत पाठक वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और फिलहाल इसके संरक्षक हैं. सरल हृदय और मीठी बोली के चलते बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन इन्हें मिल रहा है. रजनीकांत पाठक के मैदान में आने से साधारण मतदाता खुद को सहज महसूस कर रहे हैं और हर जाति वर्ग का समर्थन मिलने की उम्मीद लिए रजनीकांत पाठक भी जमकर पसीना बहा रहे हैं.

हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर

देश में सबसे ज्यादा शिव मंदिर मिलते हैं। वहीं दक्षिण भारत में वैष्णव मंदिर बड़ी संख्या में हैं। पर एक ही गर्भ गृह में शिव और विष्णु का मंदिर दुर्लभ है। बिहार को सारण जिले में स्थित सोनपुर में हरिहरनाथ का अति प्राचीन मंदिर है। यहां हरि (विष्णु) और हर (शिव) की प्रतिमा एक साथ स्थापित है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा-गंडक के संगम स्थल यानी हाजीपुर सोनपुर में स्थित हरिहर क्षेत्र में गंडक नदी के किनारे लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर बाबा हरिहर नाथ मंदिर मे पूजा अर्चना करते हैं। बाबा हरिहर नाथ का मंदिर पौराणिक है।भगवान राम ने स्वयं स्थापित किया था हरिहरनाथ को सोनपुर में गज और ग्राह के युद्ध स्थल पर हरि (विष्णु) और हर (शिव) का हरिहरनाथ मंदिर है। यहां हर रोज सैकडों भक्त श्रद्धा से पहुंचते हैं। सावन माह के सोमवार के दिन यहां श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है।कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान राम ने सीता स्वयंवर में जाते समय किया था। कहा जाता है कि हरिहरनाथ मंदिर का निर्माण भगवान राम ने त्रेता युग के हाथों हुआ था। भगवान राम जब जनकपुर के लिए जा रहे थे तब उन्होंने यात्रा मार्ग में ये मंदिर बनवाया था। गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित यह प्राचीन मंदिर सभी हिन्दूओं के परम आस्था का केंद्र है। बाद में इस मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया। अभी जो मंदिर बना है, उसकी मरम्मत राजा राम नारायण ने करवाई थी। मंदिर के अंदर गर्भ गृह में शिवलिंग स्थापित है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की प्रतिमा भी है। पूरे देश में इस तरह का कोई दूसरा मंदिर नहीं है जहां हरि और हर एक साथ स्थापित हों।कई सालों तक महंथ अवध किशोर गिरी हरिहर नाथ मंदिर के महंथ रहे। उनका साल 2006 में 8 अप्रैल को निधन हो गया। बिहार राज्य के अति महत्ववपूर्ण मंदिरों में शुमार हरिहर नाथ मंदिर बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत आता है। इसकी व्यवस्था राज्य सरकार देखती है। बड़े बड़े राजनेता और उद्योगपति बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद लेने आते हैं।हरिहरनाथ मंदिर में सभी तरह के संस्कारों के कराए जाने का इंतजाम भी है। मंदिर के बगल में आवासीय धर्मशालाएं भी हैं। कैसे पहुंचे झ्र सोनपुर रेलवे स्टेशन से हरिहरनाथ मंदिर की दूरी तीन किलोमीटर है तो हाजीपुर जंक्शन से मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु हाजीपुर में रहकर मंदिर जा सकते हैं। सालों भर सोमवार को और सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड उमड़ती है।

अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है हाजीपुर का विश्व प्रसिद्ध चीनीया केला

अनूप नारायण सिंह

छोटे आकार और अपने अनूठे स्वाद के कारण पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान बनाने वाला हाजीपुर का चिनिया केला उचित संरक्षण के अभाव में अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है कभी हजारों एकड़ में हाजीपुर में इसकी खेती होती थी जो अब सिमटकर रह गया है बाजारवाद के इस दौर में उचित मार्केटिंग के अभाव में किसानों ने चीनिया केला की खेती करनी छोड़ दी एक जमाना था जब आप पटना के महात्मा गांधी सेतु पुल होते हाजीपुर जाते थे तो दूर-दूर तक हजारों एकड़ में आपको केले की खेती नजर आती थी अब पूरा इलाका वीरान नजर आता है महात्मा गांधी सेतु के निर्माण होने के बाद सबसे ज्यादा कर फायदा किसी को हुआ था तो वह था हाजीपुर के केला और केला व्यवसायीयों को. उनके टोल प्लाजा के पास आते-जाते रूकते वाहनों के यात्रियों के रूप में चीनिया केला को बाजार मिल गया था। वैसे चीनी अकेला की डिमांड देश ही नहीं विदेशों तक में थी। महात्मा गांधी पुल की बदहाली के साथ केला व्यवसायियों की बदहाली भी शूरू हुई खासकर चिनिया केला बाजार में गुम होने लगा छोटे साइज और सस्ता दर होने के कारण किसानों ने भी चिनिया केला के खेती से मुंह मोड़ना शुरू किया. हाजीपुर का नाम सुनते ही सहसा एक नाम उभरकर जुबान पर आता है..यानि केला। इस क्षेत्र का मालभोग हो या अलपान या फिर चीनिया। इन सभी केलों का अपना स्वाद और अपनी विशेषता है। इस क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति केले के बगानों की स्थिति पर ही निर्भर करती है। केले की खेती किसानों की आर्थिक व सामाजिक दशा सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु समय-समय पर आई कई प्राकृतिक आपदाओं ने केले के फसल उत्पादकों की कमर ही तोड़ दी है। सरकार द्वारा केला फसल को फसल बीमा में शामिल नहीं किए जाने के कारण क्षेत्र के किसानों को प्रति वर्ष भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। वर्तमान में जिले के जढुआ, सहदुल्लहपुर, सैदपुर गणेश, पानापुर धर्मपुर, कंचनपुर, रजासन, पकौली, भैरोपुर, माइल, दाउद नगर, खिलवत, बिदुपुर, रामदौली, शीतलपुर कमालपुर, अमेर, कमोर्पुर, मधुरापुर, मथुरा, गोखुला, मजलिसपुर, चेचर, कुतुबपुर, मनियापुर आदि गांवों के हजारों हेक्टेयर भूमि पर केले की फसल लहलहाती है। जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में 3250 हेक्टेयर भूमि पर केले की खेती होती है। फसल उत्पादन लागत में हो रही निरंतर वृद्धि, कीट व्याधि का प्रकोप एवं बाजार की समस्या ने किसानों को.प्राकृतिक आपदा के समय भी केला उत्पादक किसानों को सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलती। च्सचाई की कोई कारगर व्यवस्था नहीं होने से किसान निजी पंप सेट से च्सचाई करने को बाध्य हैं। जो काफी महंगा पड़ता है। उत्पादन लागत अधिक होने के कारण भी किसान परेशान हैं। केले से बनने वाले उत्पादों के संयत्र भी यहां नहीं हैं। इस क्षेत्र में केला पकाने की न तो कोई व्यवस्था है और न ही केले से बने चिप्स एवं अन्य सामग्री के निर्माण हेतु कोई उद्योग। जबकि हाजीपुर के ही हरिहरपुर में ही स्थापित केला अनुसंधान केंद्र केले के थम के रेसे से बनी वस्तुओं के निर्माण की तकनीक विकसित हो पाई है। वर्तमान में केला उत्पादक किसान परेशान हैं।

पटना महावीर मंदिर की आस्था से जुड़ा है नैवेद्यम

अनूप नारायण सिंह

पटना के महावीर मंदिर की पहचान के साथ जुड़ चुके नैवेद्यम लड्डू खुशबू भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता ही है साथ ही साथ इस की एक विशिष्ट पहचान पटना के साथ पूरी तरह जुड़ चुकी है। घी, बेसन, केसर और मेवे से बने प्रसाद 'नैवेद्यम' का स्वाद जिसने एक बार लिया, उसे वह ताउम्र याद रखता है। नैवेद्यम और महावीर मदिर का साथ 26 साल का हो चुका है।

महावीर मदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद नैवेद्यम लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। इसके स्वाद, शुद्धता और पवित्रता का हर व्यक्ति कायल है। पिछले 26 वर्षो से इसकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। भक्तजन महावीर मदिर में प्रसाद के रूप में नैवेद्यम चढ़ाने के बाद इसे मिठाई के रूप में घरों में रखते हैं। कहते हैं, सभी मिठाइयों का स्वाद एक तरफ और भगवान को भोग लगाने के बाद नैवेद्यम का स्वाद एक तरफ।तिरुपति बालाजी से पटना आया प्रसाद.महावीर मदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल बताते हैं कि महावीर मदिर में नैवेद्यम की शुरूआत वर्ष 1993 में हुई। वह कहते हैं, 93 में मैं तिरुपति मदिर दर्शन करने के लिए गया था। उस समय गृह मत्रालय के अधीन अयोध्या में ओएसडी था। तिरुपति में नैवेद्यम चढ़ाकर प्रसाद ग्रहण किया तो उसका स्वाद काफी पसद आया। उसी समय निर्णय लिया कि पटना जंक्शन स्थित महावीर मदिर में भी इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाएगा। इसके कुछ ही दिनों बाद यहा नैवेद्यम का प्रसाद चढ़ाया जाने लगा।10 फीसद राशि मिलती है कारीगरों को.महावीर मदिर न्यास समिति नैवेद्यम की कुल बिक्री की दस फीसद राशि प्रसाद बनाने वाले कारीगरों को देती है। यही कारण है कि तिरुपति से आकर कारीगर पटना में काम करने को तैयार हैं। अब तो कारीगरों की दूसरी पीढ़ी भी काम करने आने लगी है।मुजफ्फरपुर भी जाता है नैवेद्यम.पटना के महावीर मदिर में बनने वाला नैवेद्यम राजधानी के विभिन्न मदिरों में चढ़ाये जाने के साथ-साथ मुजफ्फरपुर गरीबनाथ मदिर में भी चढ़ाया जाता है। राजधानी के बेलीरोड महावीर मदिर एव जल्ला महावीर मदिर में भी नैवेद्यम का प्रसाद चढ़ाया जाता है।प्रसाद के रूप में ही ग्रहण की परंपरा.नैवेद्यम के हर पैकेट पर लिखा रहता है- 'नैवेद्यम प्रसाद है, इसको बिना भगवान को चढ़ाये खाना मना है।' ऐसे में महावीर मदिर या अन्य मदिरों से नैवेद्यम खरीदने के बाद भक्तजन पहले इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। इसके बाद ही प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है।हनुमान मंदिर के अलावा पंचरूपी हनुमान मंदिर बेली

रोड, बांस घाट काली मंदिर आदि शहर के प्रमुख मंदिरो में यहां से नैवेद्यम को अन्य जगहों पर भेजा जाता है। मान्यता है कि भगवान को प्रसाद भोग लगाने के बाद ही श्रद्धालु इसका ग्रहण करते है। प्रसाद के निर्माण करने वाले सारे कारीगर दूसरे राज्यों से आकर भगवान की सेवा प्रसाद बनाने को लेकर कर रहे है। प्रसाद बनाने में सभी कारीगर शुद्धता के साथ-साथ पूरी निष्ठा से बनाते है। हर मौसम में शुद्धता और सफाई का ध्यान रखना इन कारीगरों की पहली प्राथमिकता होती है।

सबसे पहले शुद्ध बेसन से बुंदिया तैयार की जाती है। इसके बाद चीनी की चासनी में डालकर उसे मिलाया जाता है। मिलाने के क्रम में ही बुंदिया के साथ-साथ काजू, किशमिश, इलाइची और केसर मिलाया जाता है। चासनी में बुंदिया का मिश्रण लगभग दो घटे तक होता है। इसके बाद मिश्रण को लड्डू बाधने वाले प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है। यहा पर एक साथ 15 से 20 कारीगर खड़े होकर लड्डू बाधते हैं। यहा बैठकर लड्डू बनाने की परंपरा नहीं है। लड्डू बाधने के बाद उसे 250 ग्राम, 500 ग्राम और एक किलो के पैकेट में रखा जाता है। फिर उसे महावीर मदिर भेज दिया जाता है। महावीर मदिर से ही नैवेद्यम कई अन्य मदिरों को भेजा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा खपत महावीर मदिर में ही होती है। आचार्य किशोर कुणाल का कहना है कि शुरू में महावीर मदिर में नैवेद्यम पटना डेयरी प्रोजेक्ट के घी से तैयार किया जाता था, लेकिन तिरुपति जैसा स्वाद नहीं आ पाता था। इसके बाद पता किया गया कि आखिर तिरुपति के नैवेद्यम का स्वाद इतना अच्छा क्यों होता है तो पता चला कि वहा पर कर्नाटक की देसी गायों के घी से इसे तैयार किया जाता है। इसके बाद महावीर मदिर न्यास समिति ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से सपर्क किया। वहा पर नदनी के नाम से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन घी बेचता है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से बातचीत की गई तो वह तिरुपति मदिर को दिए जाने वाले दर पर ही महावीर मदिर को भी घी देने को तैयार हो गया। यह सस्ता भी पड़ रहा था। यहा का घी 470 रुपये किलो पड़ रहा था, जबकि नदनी घी की कीमत प्रतिकिलो 380 रुपये आती है। महावीर मदिर में वर्तमान में नैवेद्यम 250 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा

है।

महावीर मदिर द्वारा नैवेद्यम की बिक्री करने से जो लाभ प्राप्त होता है, उससे महावीर कैंसर सस्थान में इलाज कराने वाले गरीब मरीजों की आर्थिक मदद की जाती है। कैंसर के गरीब मरीजों को मदिर की ओर से 10 से 15 हजार रुपये की मदद की जाती है। 18 वर्ष से कम उम्र के सभी मरीजों को 15,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा सभी मरीजों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है। प्रतिदिन लगभग 1500 लोग भोजन करते हैं। मरीजों के परिजनों को भी अनुदानित दर पर भोजन दिया जाता है। कैंसर मरीजों को मात्र 100 रुपये प्रति यूनिट खून मुहैया कराया जाता है।नैवेद्यम को तिरुपति के ब्राह्मण पूरी पवित्रता एव शुद्धता के साथ बनाते हैं। इसके लिए राजधानी के बुद्ध मार्ग में एक कारखाना तैयार किया गया है। यहा पर प्रतिदिन 35 ब्राह्मणों द्वारा प्रसाद तैयार किया जाता है। नैवेद्यम बनाने वाले तिरुपति के कारीगर शेषाद्री का कहना है कि प्रसाद बनाने से पहले सभी कारीगर रात दो बजे से ही जुट जाते हैं। सभी स्नान के बाद साफ किये हुए कपड़ों को धारण करते हैं।

पटना का महावीर मंदिर

बिहार की राजधानी पटना के हृदयस्थली अवस्थित उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है।सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में रामनवमी के दिन अयोध्या की हनुमानगढ़ी के बाद सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है।

इस मंदिर में आकर शीश नवाने से भक्तों की मनोकामना पूर्ति होती है। इस मंदिर को हर दिन लगभग एक लाख रुपये की राशि विभिन्न मदों से प्राप्त होती है। इस मंदिर को 1730 इस्वी में स्वामी बालानंद ने स्थापित किया था। साल 1900 तक यह मंदिर रामानंद संप्रदाय के अधीन था।

इसके बाद इसपर 1948 तक इसपर गोसाई संन्यासियों का कब्जा रहा। साल 1948 में पटना हाइकोर्ट ने इसे सार्वजनिक मंदिर घोषित कर दिया। उसके बाद आचार्य किशोर कुणाल के प्रयास से साल 1983 से 1985 के बीच वर्तमान मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और आज इस भव्य मंदिर के द्वार सबके लिए खुले हैं।

इस मंदिर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है और मंदिर के गर्भगृह में भगवान हनुमान की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में सभी देवी-देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यहां की एक खास बात यह है कि यहां रामसेतु का पत्थर कांच के बरतन में रखा हुआ है। इस पत्थर का वजन 15 किलो है और यह पत्थर पानी में तैरता रहता है।

यह मंदिर बाकी हनुमान मंदिरो से कुछ अलग है, क्योंकि यहां बजरंग बली की युग्म मूर्तियां एक साथ हैं। एक मूर्ति परित्राणाय साधूनाम् अर्थात अच्छे लोगों के कारज पूर्ण करने वाली है और दूसरी मूर्ति- विनाशाय च दुष्कृताम्बु, अर्थात बुरे लोगों की बुराई दूर करने वाली है।

यह मंदिर पटना रेलवे स्टेशन से निकल कर उत्तर दिशा की ओर स्थित है प्रसिद्ध महावीर मंदिर पटना जंक्शन परिसर से सटे ही बना हुआ है। मंदिर प्राचीन है, जिसे 80 के दशक में नया रंग-रूप दिया गया। पटना आने वाले श्रद्धालु यहां सिर नवाना नहीं भूलते। लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर में आते हैं।

यहां मंगलवार और शनिवार के ददिनसबसे अधिक संख्या में भक्त जुटते हैं। यहां हनुमान जी को घी के लड्डू, नैवेद्यम का भोग लगाया जाता है, जिसे तिरुपति के कारीगर तैयार करते हैं। हर दिन यहां करीब 25,000 लड्डूओं की बिक्री होती है।

महावीर मंदिर ट्रस्ट के अनुसार इन लड्डूओं से जो पैसा आता है वह महावीर कैंसर संस्थान में उन मरीजों पर खर्च किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कैंसर का इलाज करवाने में सक्षम नहीं हैं।

नमन बिहार सरकार के पूर्व श्रमनियोजन राज्य मंत्री आदरणीय अजीत कुमार सिह जी उर्फ मोहन बाबू

जानिए क्यों खास थे अजीत कुमार सिंह उर्फ मोहन बाबू

नूप नारायण सिंह

पूर्व मंत्री बने थे पंचायत के मुखिया, पढ़े इनकी दिलचस्प कहानी, पंचायत के लोग मानते थे मसीहा। अजीत बाबू उर्फ मोहन बाबू को चाहे तो मंत्री जी कहें या मुखिया जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि उनका जीवन दर्शन सीधा था, लेकिन राह चले उलटी। 1980 में एमएलए चुने गए। पांच साल विधायक रहे। 1990 में दोबारा विधायक बने और लालू प्रसाद की सरकार में पांच साल श्रम मंत्री रहे। अब मुखिया थे। मंत्री बनने के बाद मुखिया का चुनाव लड़ना गांव में वैसे ही माना जाता है, जैसे राष्ट्रपति बनने के बाद सांसद बनना, लेकिन मोहन बाबू को इससे फर्क नहीं पड़ता। गांव के लोगों की सेवा करने का मौका पाकर वे इसी पद से खुश थे। एक बार मंत्री बनने के बाद गांव-देहात के नेता जीवन भर ह्यमंत्री जीह्न का संबोधन इन्ज्वॉय करते थे। अजीत बाबू को लोग प्यार से मोहन बाबू कहते थे और मुखिया जी कह दीजिए तो बेहद खुश होते थे।80 साल के थे पूर्व मंत्री अजीत कुमार सिंह। बैंक खाते का बैलेंस न्यूनतम रहता था। एक बेटी थी। उसका ब्याह कर दिया। भाई-भतीजों के साथ रहते थे। कहते हैं, क्षेत्र के लोगों के दिलों में खाता खोल रखा था। कहते थे ऑडिट कराइए तो पता चलेगा कि मैं कितना अमीर हूं। लोगों की सेवा से मिला पुण्य जीवनभर की कमाई थी। पद छोटा हो गया, तो यह प्यार वाली आय बढ़ गई। 2001 से बिहार के सिवान जिले की गोरेयाकोठी पंचायत के मुखिया थे। लगातार जीत रहे थे। हां, कभी वोट मांगने नहीं जाते थे। रोज सुबह जो मिल गया, उसका कंधा पकड़कर गांव में निकल पड़ते थे। समस्याएं सुनते थे। समाधान सुझाते थे। घर पर भी मोहन बाबू की बैठकी चलती थी। गांव और आसपास के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते थे। छोटे-बड़े विवाद होते थे। वह सुलझाने की कोशिश करते थे। डांटते-फटकारते थे। लोग बुरा नहीं मानते। उनकी कोशिश होती थी कि बेवजह लोग थाना-पुलिस के चक्कर में न पड़ें। एक ऐसी सरकार में मंत्री रहे, जो बाद में भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हुई, लेकिन मोहन बाबू की ईमानदारी के चर्चे गांव-गांव में हैं। गांव में सड़क की जरूरत हुई तो अपनी जमीन दे दी। अजीत बाबू कहते थे कि मुझे वह गाना बहुत पसंद था, गरीबों की सुनो, वह तुम्हारी सुनेगा।

अगर आप बिहारी हैं तो इसे जरूर पढ़ें आपकी भी आंखें नम हो जाएगी

अनूप नारायण सिंह

वेदना के कई स्वर हो सकते है इस स्वर को सुनने के बाद आप मर्माहत हो सकते हैं जीते जी जिस महान विभूति को हम सम्मान ना दिया उसके मरने के बाद हमें इसकी अहमियत पता चला.अब बिहार का बेटा नासा में जाकर इतना बड़ा धमाल नहीं कर पाएगा ना ही आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक के सिद्धांत को चुनौती देगा ना ही कोई बिहार का बेटा अमेरिका में अपनी विजय पताका फहराने के बाद अपने करियर के चरम पर अपनी माटी का कर्ज उतारने बिहार वापस आएगा आए भी तो क्यों.

कभी दुनिया के बड़े गणितज्ञों में शुमार किए जाने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह को उनकी मौत ही गुमनामी की लंबी जिंदगी से निकाल पाई और इसके बहाने तमाम बातों पर चर्चा शुरू हुई. वशिष्ठ नारायण सिंह की जिंदगी के उतार-चढ़ाव मानव जीवन की नियति के बारे में तो बताते ही हैं, साथ में यह भी बताते हैं कि कैसे मानसिक रोग और विकलांगता के बारे में हमारा सामाजिक व्यवहार भी ऐसा है जिस पर हमें सोचना चाहिए.बिहार के एक गरीब परिवार से निकल वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपनी प्रतिभा के बल पर दुनिया के अकादमिक जगत में लोहा मनवाया. लेकिन फिर स्किट्सोफ्रीनिया जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आकर उन्हें न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा. एक जीनियस जिसमें दुनिया असीम संभावनायें देख रही थी, वह कभी कूड़े के ढ़ेर में पड़ा मिलता तो कभी गलियों में बेसुध घूमता पाया जाता. जब परिवार उन पर नजर रखने लगा. उन्हें उनके कमरे से नहीं निकलने दिया जाता था तो वे कमरे की दीवारों पर गणित के सूत्र लिखा करते थे.वशिष्ठ नारायण सिंह दो अप्रैल 1942 को बिहार के आरा जिले के वसंतपुर गांव में जन्मे थे. घर में गरीबी थी लेकिन अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर वे रांची के प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय पहुंच गए और यहीं पर उनकी स्कूल स्तर की शिक्षा हुई. इसके बाद उन्होंने पटना के साइंस कॉलेज में दाखिला लिया और बीएससी की पढ़ाई करने लगे. दुर्योगों से भरी वशिष्ठ नारायण सिंह की जिंदगी में यहां एक संयोग बना. पटना साइंस कॉलेज में उनकी मुलाकात कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जान कैली से हुई. जान कैली गणितीय चचाओं में वशिष्ठ नारायण सिंह से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस होनहार गणितज्ञ को अमेरिका आने का न्योता दे दिया. कहते हैं कि आने-जाने और अमेरिका में रहने के दौरान वशिष्ठ नारायण सिंह के शुरूआती खर्च की व्यवस्था भी जान कैली ने ही की.कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पहुंचने के साथ ही वशिष्ठ नारायण सिंह का शानदार अकादमिक सफर शुरू हो गया. 1969 में उन्होंने इसी विश्ववद्यालय से पीएचडी पूरी की. साइक्लिक वेक्टर पर की गई पीएचडी के बाद वे अमेरिका के गणितीय हलकों में मशहूर हो गए और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सहायक प्रोफेसर बन गए.अब तक वशिष्ठ नारायण सिंह की प्रसिद्धि भारत और बिहार में पहुंच चुकी थी. हिंदुस्तान के आईआईटी जैसे संस्थानों में उनके चर्चे थे. 1972 में बिहार के एक सरकारी डॉक्टर की बेटी के साथ उनका विवाह हो गया. लेकिन, यही वह वक्त था जब मानसिक बीमारी ने उन्हें अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था. शादी के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें कुछ अजीब सी हरकतें करते और कुछ दवाइयां खाते देखा. दवा के बारे में पत्नी ने वशिष्ठ नारायण सिंह से पूछा तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इस दौरान कुछ दिनों के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह नासा से भी जुड़े रहे.1974 में वशिष्ठ नारायण सिंह ने अमेरिका से वापस लौटने का फैसला किया. ऐसा उन्होंने अपने पिता के कहने पर किया या अपनी बढ़ती मानसिक परेशानी के कारण, इस पर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता. अमेरिका से लौटकर वशिष्ठ नारायण सिंह ने आईआईटी कानपुर में पढ़ाना शुरू कर दिया. लेकिन, यहां शिक्षकों के

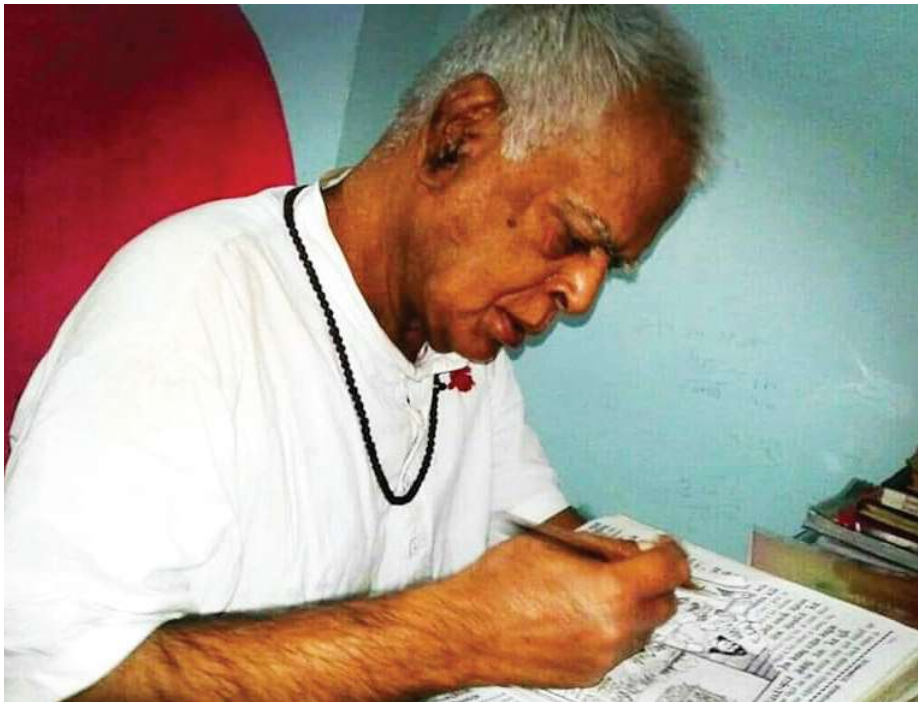

आपसी मनमुटाव में उनका मन न लगा और वे टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च चले गए. बाद में वहां से वे भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता आ गए. इस अस्थिरता के पीछे और भी वजहें हो सकती हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को इसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है.वशिष्ठ नारायण सिंह की मानसिक स्थिति के चलते उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई और 1976 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद उनके हालात और बिगड़ गए और उन्होंने खाना-पीना भी छोड़ दिया. उनके परिवार के लोग बताते हैं कि इस दौरान वे घर के लोगों के साथ मारपीट भी करने लगे थे. वे घर की चीजों तोड़-फोड़ भी दिया करते थे. हालात बिगड़ने पर उन्हें रांची के कांके मानसिक चिकित्सालय में दिखाया गया. जहां जांच के बाद पाया गया कि उन्हें स्किट्सोफ्रीनिया नाम का मानसिक रोग है.इसके बाद वे लंबे समय तक इस अस्पताल में भर्ती रहे. पिता के निधन के बाद वे घर आए और हालात में सुधार के चलते उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई. लेकिन दो साल बाद वे एक दिन एकाएक लापता हो गए और लंबे समय तक उनका कुछ पता नहीं चला. कई सालों के बाद कुछ लोगों ने उन्हें पहचाना और उनके घर सूचना दी कि वशिष्ठ नारायण सिंह अपनी ससुराल के पास घूम रहे हैं. घरवालों ने तलाशा तो वे वहां एक कूड़े के ढेर के पास मिले.लेकिन, इन सबके बाद भी वे बिहार के समाज में एक प्रेरणादायी शख्स थे. कहा जाता था कि अगर वे बीमार न होते तो दुनिया के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतते. उनके गायब होने और फिर मिलने की खबरें जब मीडिया में आईं तो बिहार सरकार ने इनका संज्ञान लिया. इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बेंगलुरु में उनके इलाज की व्यवस्था कराई. इस दौरान उनके भाई अयोध्या प्रसाद उनकी देखभाल करते रहे. बाद में केंद्र में राजग सरकार आ जाने पर तत्कालीन भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके दिल्ली में इलाज की व्यवस्था कराई. 2009 में हालात में कुछ सुधार के बाद वे एक बार फिर से अपने घर आ गए.इस दौरान उनके परिवार के आर्थिक हालात लगातार तंग होते जा रहे थे. खबरें छपने के बाद सरकारी मदद आती, लेकिन धीरे-धीरे बात फिर आई-गई हो जाती. इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि किस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन के बाद उनके परिवार को एंबुलेंस के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी. हमारा राजनीतिक अभिजात्य इस तरह की चीजों के प्रति कितना संवेदनशील होता है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन की चर्चा सोशल मीडिया में होने पर बिहार के कुछ स्थानीय नेताओं ने उन्हें जदयू का नेता समझकर श्रद्धांजलि दे डाली थी.वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे प्रतिभाशाली गणितज्ञ की जिंदगी की सारी परेशानियां उनकी मानसिक बीमारी के कारण आईं. लेकिन, दुनिया में मानसिक रोगों से ग्रस्त कई शख्सियत अपनी मानसिक बीमारियों से उबरकर सामान्य जिंदगी बिता चुके हैं. अमेरिका के मशहूर गणितज्ञ जान नैश भी स्किट्सोफ्रीनिया की चपेट में आ गए थे. लेकिन, वहां का अकादमिक जगत और सरकार पुरजोर तरीके से उनके साथ बनी रही. जान नैश की मानसिक दशा बिगड़ने लगी तो भी यूनिवर्सिटी ने उनकी नौकरी बरकरार रखी और इस प्रतिभाशाली गणितज्ञ को खराब मानसिक दशा के दौरान भी रिसर्च के लिए वेतन मिलता रहा. लेकिन, वशिष्ठ नारायण के मामले में ऐसा नहीं हुआ. उनकी बिगड़ती मानसिक दशा में उन्हें कई नौकरियां बदलनी पड़ीं और अंत में उनकी नौकरी जाती रही.जॉन नैश के इलाज की बेहतरीन व्यवस्था की गई और धीरे-धीरे वे काफी हद तक अपनी बीमारी से उबर भी पाए. इसी दौरान उन्हें अपने उस शोध के लिए नोबेल मिला जो उन्होंने बीमारी से पहले किया था. जॉन नैश के जीवन पर हॉलीवुड फिल्म ह्यब्यूटीफुल माइंडह्न एक ऐसी प्रेम कथा है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से उनकी पत्नी ने उनकी बीमारी के दौरान उनका साथ दिया.लेकिन, वशिष्ठ नारायण सिंह के मामले में यह सुखद पक्ष नहीं था. उनकी नौकरी चली गई और यूनिवर्सिटी या सरकार की तरफ से उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया. यह बताता है कि हम प्रतिभाओं का सम्मान किस तरह करते हैं. वशिष्ठ नारायण सिंह के गायब हो जाने के बाद सरकारें मीडिया के दबाव में जागीं तो, फिर भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने जैसी सुविधा ही मिली जो समय के साथ घटती ही जाती थी.केवल सरकारें ही नहीं अकादमिक दुनिया और बुद्धजीवियों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था और उनकी तरफ से भी वशिष्ठ नारायण के मामले में सरकार पर शायद ही कोई दवाब बनाया गया. यह रवैया दरअसल हमारे सामाजिक पक्ष की ओर भी इशारा करता है कि हम मानसिक रोगियों के प्रति कितने असंवेदनशील हैं. सभी मानसिक रोगियों के मामले में इस तरह के हस्तक्षेप की उम्मीद की भी नहीं जा सकती. लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह तो असाधारण प्रतिभा के धनी थे और बुद्धिजीवी वर्ग उनके नाम और काम से परिचित भी था. जब समाज का सोचने-विचारने वाले तबके के लिए इस महान प्रतिभाशाली गणितज्ञ का मानसिक रोग और देखभाल चिंता का विषय नहीं रही तो एक सामान्य आदमी के लिए किसी बड़े कदम की उम्मीद कैसे की जा सकती है. सब कुछ सरकारों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता. कुछ समाज की भी जिम्मेदारी है. और सरकारें भी आखिरकार समाज के दबाव के चलते ही काम करती हैं.

बिहटा एयरपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार

बिहटा एयरपोर्ट का विकास जिस मास्टर प्लान के तहत होना है, उसके लिए करीब 200 एकड़ और जमीन की जरूरत है। 12 हजार लंबे रनवे के लिए 191.5 एकड़ और सिटी साइड के लिए 8 एकड़ जमीन चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस बाबत बिहार सरकार के सिविल एविएशन के प्रधान सचिव सह मुख्य सचिव दीपक प्रसाद को 8 नवंबर को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि मास्टर प्लान के तहत बिहटा एयरपोर्ट पर 12 हजार फीट रनवे के साथ ही इसके समानांतर टैक्सी ट्रैक, आइसोलेशन वे, कैट थ्री के लिए अप्रोचिंग लैंडिंग सिस्टम का निर्माण होना है।12 हजार फीट रनवे की लंबाई होने पर ही बोइंग 747, 777, 787 और एयरबस 380 का ऑपरेशन हो सकेगा। फिलहाल यहां रनवे की लंबाई 8200 फीट ही है, जो बड़े विमानों के परिचालन के लिए पर्याप्त नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन अरविंद सिंह दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार रात पटना आ गए। शुक्रवार और शनिवार को वह पटना, बिहटा, दरभंगा, पूर्णिया व गया एयरपोर्ट के विकास व चल रहे निर्माण को लेकर वे मुख्य सचिव के साथ बैठक करेंगे। पटना एयरपोर्ट के निदेशक भूपेश नेगी भी बैठक में रहेंगे।बिहार सरकार ने नए टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए 108 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर एयरपोर्ट को दे दी है। एयरपोर्ट की चहारदीवारी का काम खत्म हो गया है। नई टर्मिनल बिल्डिंग का टेंडर अभी नहीं हुआ है। इसका इस्टिमेट बनाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अगले माह नए टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए टेंडर हो जाने की उम्मीद है।

बिहटा एयरपोर्ट से सटे शर्फुद्दीरपुर पंचायत के कई गांव हैं। यहां के ग्रामीणों व किसानों को इस बात की जानकारी मिल गई है कि इस एयरपोर्ट को अभी करीब 200 एकड़ और जमीन की जरूरत है। इससे वहां के लोगों में हड़कंप मचा है। उन्हें इस बात का भय सता रहा है कि सरकार कहीं उनके मकान, जमीन, खेत व अन्य खाली पड़ी जमीन अधिग्रहित कर एयरपोर्ट को न दे दे।

22 दिसंबर को बिक्रमगंज में मनाया जाएगा शाहाबाद महोत्सव

ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है आयोजन

पहली बार पक्ष और विपक्ष सभी दल के लोग बैठेंगे एक साथ

सासाराम - पुराने शाहाबाद यानी रोहतास, भोजपुर, बक्सर तथा कैमूर जिले के ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत को याद करते हुए उसे बढ़ावा देने के लिए आगामी 22 दिसंबर को बिक्रमगंज शाहाबाद महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में पहली बार शाहाबाद के धरती पर सही राजनीतिक दल के लोगों ने एक साथ बैठकर अपनी गौरवशाली इतिहास को याद करते करते ऐतिहासिक व परंपरागत कला-संस्कृति को बढ़ावा देने का संकल्प लेंगे।

इस संबंध में शाहाबाद आयोजन समिति के संयोजक अखिलेश कुमार ने सासाराम स्थित परिसदन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शाहाबाद महोत्सव में रोहतास कैमूर भोजपुर तथा रोहतास जिले के प्रमुख खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जिसमें चेनारी के गुड का लड्डू, कोआथ का बेलग्रामी, बक्सर का पापड़ी, बरांव का सिंघाड़ा मोकरी का चावल आदि का स्टॉल लगाया जाएगा। साथ ही साथ सभी ऐतिहासिक यानि राजा हरिश्चंद्र के काल से लेकर वर्तमान समय तक के सभी महापुरुषों की छाया चित्र की भी प्रदर्शन लगेगी। ताकि नई पीढी उनके बारे में अवगत हो सके।

अखिलेश कुमार ने कहा कि शाहाबाद के लिए या शुभ संकेत है कि सभी राजनीतिक दल के लोग इस महोत्सव में एक साथ शिरकत करने की सहमति प्रदान की है। सभी लोग साथ बैठकर यहां के विकास की गति को तेज करने की संकल्प लेंगे। शाहाबाद महोत्सव में मनोज तिवारी भरत शर्मा जैसे कलाकार, चिकित्सा, साहित्य, राजनीतिक, कला संस्कृति क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भी आने की सहमति प्रदान की है। इस दौरान यहां से परंपरागत लोक संगीत तथा नृत्य का भी प्रदर्शन होगा। जिसमे सभी वर्तमान व पूर्व सांसद-विधायक, पैक्स अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, यनि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में मे सरोज चन्द्रवंशी, शैलेश कुमार, अशोक बैठा, मयंक उपाध्याय, सिकंजय सिंह, बंटी सिंह, आलोक कुमार, भोजपुरी गायक सर्वजीत सिंह आदि भी उपस्थित थे।

तापमान बढ़ने से समुद्र में घट रही है ऑक्सीजन

जलवायु परिवर्तन और पोषक तत्वों से पैदा होने वाले प्रदूषण की वजह से महासागरों में ऑक्सीजन घट रही है. इससे मछलियों की कई प्रजातियां खतरे में घिर गई हैं. प्रकृति के लिए काम करने वाले समूह 'आईयूसीएन' के एक गहन अध्ययन के जरिए ये जानकारी सामने आई है.

शोधकताओं का कहना है कि कई दशकों से इस बात की जानकारी है कि समुद्र में पोषक तत्व कम हो रहा है लेकिन अब जलवायु परिवर्तन की वजह से स्थिति लगातार खराब होती जा रही है.

अध्ययन के जरिए जानकारी मिली है कि 1960 के दशक में महासागरों में 45 ऐसे स्थान थे, जहां ऑक्सीजन कम थी लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 700 तक पहुंच गई है.

शोधकताओं का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ट्यूना, मार्लिन और शार्क सहित कई प्रजातियों को खतरा है.

काफी समय से माना जाता है कि खेतों और कारखानों से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे रसायनों के निकलने से महासागरों को खतरा रहता है और समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर प्रभावित होता है. तटों के करीब ये अभी भी ऑक्सीजन की मात्रा घटने का प्रमुख कारक है.

लेकिन, हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन से खतरा बढ़ गया है. अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से जब तापमान बढ़ता है तो अधिकांश गर्मी समुद्र सोख लेता है. इसके कारण पानी गर्म होता है और ऑक्सीजन घटने लगती है. वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक साल 1960 से 2010 के बीच महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा दो फीसदी घटी है.

मछलियों पर मंडराता खतरा

ऑक्सीजन में कमी का ये वैश्विक औसत है और हो सकता है कि ये ज्यादा न लगे लेकिन कुछ जगहों पर ऑक्सीजन की मात्रा में 40 फीसद तक कमी आने की आशंका जाहिर की गई है. ऑक्सीजन की मात्रा में थोड़ी भी कमी समुद्री जीवन पर बड़ा असर डाल सकती है. पानी में ऑक्सीजन की कमी होना जेलीफिश जैसी प्रजातियों के माकूल है लेकिन ट्यूना जैसी बड़ी और तेजी से तैरने वाली प्रजातियों के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है.

आईयूसीएन की मिन्ना एप्स ने कहा, "हम डी-ऑक्सीजनेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें इसके जलवायु परिवर्तन से संबंध के बारे में जानकारी नहीं थी और ये चिंता बढ़ाने वाली स्थिति है.रपट

दिल्ली अग्निकांड : आग, धुंआ, झुलसे जिस्म और मौत के सवाल

दिल्ली के रानी झांसी रोड स्थित अनाज मंडी की उस इमारत में जब आग लगी, भीतर सौ से ज्यादा लोग सो रहे थे.

रविवार सुबह तो हुई लेकिन तब तक ज़िंदगियां राख हो चुकी थीं. दिन चढ़ने के साथ-साथ लाशों की गिनती बढ़ती गई.

इस इमारत में सो रहे सौ लोगों में से 43 लोग अब तक मर चुके हैं. 60 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं. घटना सुबह करीब पांच बजे की है. सबकुछ रोज जैसा था लेकिन वो इमारत आज रोज से अलग धुंआ फेंक रही थी. काला धुंआ.

वहां आग की लपटें उठ रही थीं. अंदर से चीखने-चिल्लाने की आवाज आ रही थी. कुछ लोग बदहवास से बाहर भाग रहे थे.

और देखते-देखते उस तंग गली का नजारा बदल गया. लोगों को ज़िंदा निकालने की कवायद शुरू हुई. पर अंदर कुछ ज़िंदा लोग लाश बन चुके थे. लाशों की कोई पहचान नहीं थी. उन्हें कोई जानता नहीं था. उनकी सिर्फ. यही पहचान थी कि वो इस फैक्ट्री में काम करते थे. शायद रहते भी यहीं थे.

वो फैक्ट्री जहां बच्चों के खिलौने और बस्ते बनते थे. घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां, पुलिस और एनडीआरएफ के जवान तैनात थे. मीडिया भी थी. दर्जनों कैमरे थे लेकिन वहां वो लोग मौजूद नहीं थे जिनके रिश्तेदारों की मौत इस हादसे में हुई.

इस फैक्ट्री में 17 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र के लोग काम करते थे. जो बच गए हैं दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं.

फैक्ट्री के मालिक रेहान और मैनेजर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच चल रही है.

उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (लापरवाही से मौत या गैरइरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब देश की राजधानी में इंसानी जान जलकर खाक हुई है.

उपहार कांड हो या इसी साल करोलबाग के एक होटल में लगी आग. बवाना औद्योगिक क्षेत्र में हुआ हादसा हो या फिर मालवीय नगर केमिकल फैक्ट्री में लगी आग. सभी घटनाएं एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं. तंग गलियां, लटकते तार, बंद कोठरियों में चलती फैक्ट्री.

चूक कहां. ज़िम्मेदार कौन ?

डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर ए के जैन से हमने इस बारे में बात की.

डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर ए के जैन का मानना है कि इस अग्निकांड के लिए तीन लोग/संस्था ज़िम्मेदार हैं. पहला तो वो शख़्स जिसकी ये फैक्ट्री थी क्योंकि उसने बिना किसी एनओसी के वहां फैक्ट्री खोल रखी थी. बिना लाइसेंस के आखिर उसने फैक्ट्री खोलने की हिम्मत कैसे की.

- नगर निगम ?

हालांकि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है. दूसरी ज़िम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है. आखिर कैसे ये बिल्डिंग उनकी आंखों से बच गई. क्यों उन्होंने इसकी पड़ताल नहीं की और तीसरी गलती है फायर डिपार्टमेंट की.

- फायर डिपार्टमेंट?

फायर डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार अगर कोई इमारत 11 मीटर से ऊंची है तो उसे एनओसी लेना होगा और अगर कोई बिल्डिंग पंद्रह मीटर से ऊंची है तो उसे फायर का एनओसी लेना होगा. और अगर उस इमारत के लिए फायर एनओसी नहीं लिया गया है तो डिपार्टमेंट खुद ही उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इमारत को सील कर सकता था.

राजनीति? जैन कहते हैं कि जहां तक बात है इमारत बनने के दौरान के सुरक्षा नियमों के पालन की तो ऐसा माना जा रहा है कि यह इमारत पुरानी रही होगी. वो कहते हैं कि जब दिल्ली का मास्टर प्लान बना था तो उसी वक़्त यह तय कर लिया गया था कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी और फायर सेफ़्टी के सर्टिफिकेट हर कोई पेश करेगा ताकि उनकी इमारत रेगुलराइज हो सके लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसमें धांधली की. और जितने भी इससे जुड़े विभाग थे उन्होंने भी इसे अनदेखा किया. जैन इन सारे मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप से भी इनकार नहीं करते हैं.

वो कहते हैं कि प्लानिंग के कुछ अपने कायदे हैं लेकिन उनका भी पालन नहीं हुआ. मसलन 6 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए. पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए जो गलियों से बाहर हो ताकि अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो सहायता जल्दी पहुंच सके और बीच सड़क खड़ी गाड़ियों की वजह से जाम ना लगे. इसके अलावा वहां फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था होनी चाहिए. लेकिन जहां यह हादसा हुआ वहां इनमें से कोई सुविधा नहीं थी. ये सीधे तौर पर अनदेखी किये जाने का परिणाम है. सबकुछ सामने था,सबको ये भी पता था कि गलत हो रहा है लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया.

अनप्लांड कंस्ट्रक्शन?

ए के जैन उपहार सिनेमा और करोल बाग में हुए हादसों को भी इसी अनदेखी से जोड़कर देखते हैं.

लेकिन क्या दिल्ली में अभी और भी ऐसी जगहें हैं जहां यह खतरा मंडरा रहा है?

इस सवाल के जवाब में जैन कहते हैं कि जो भी इलाके अनप्लांड यानी बिना किसी तय योजना के बने हैं, वहां खतरा हो सकता है.

अनप्लांड इलाके वो हैं जिनका निर्माण आमतौर पर अवैध तरीके से रातोंरात कर लिया जाता है. बिना किसी योजना के, बिना किसी तय स्ट्रक्चर के. कोई नक्शा नहीं होता और ये इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं. ऐसे में ये खतरा तो है ही.

प्रशासन का रवैया?

हालांकि जैन सिंगापुर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ये इतनी भी बड़ी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सके. वो मानते हैं कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई जाए तो क्या नहीं संभव है लेकिन यह जरूरी है कि सरकारें ये समझें कि अनदेखी करना कितना खतरनाक हो सकता है.

वो कहते हैं कि हमारे यहां अक्सर जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो एक जांच समिति बना दी जाती है, कुछ लोगों को गिरफ़्तार तो कुछ को सस्पेंड करके ये माना जाता है कि ज़िम्मेदारी पूरी. लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. अगर कोई यह कह रहा है कि यह हादसा है तो बिल्कुल नहीं, ये कोई हादसा नहीं है ये पूरी तरह हत्या का मामला है. प्रशासन की आंखें मूंदने का परिणाम है, जो इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. मारे गए ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों के दिल्ली हत्याकांड में मारे गए ज्यादातर लोग बिहार, पूर्वांचल इलाके से है.

ए के जैन कहते हैं कि यह बेहद अमानवीय है कि दूर-दराज के गांवों से आकर यहां बसने वाले इन लोगों के बारे में हमें हमें पता भी तभी चलता है जब ऐसा कोई हादसा होता है. वो कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए ये लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर यहां आकर रहते हैं. एक कमरे में दर्जनों लोग. ना रहने की सुविधा ना ही कोई बेसिक सहूलियत. राजनीतिक पार्टियां गरीबों की बात तो करती हैं लेकिन आंख बंद करके. गरीबों की इस स्थिति का फायदा छोटे मिल मालिक और कारोबारी उठाते हैं. कम मजदूरी और बेहद मामूली जरूरतों के बदले ये लोग बिना छुट्टी लिए, कम मजदूरी पर काम करते हैं. अगर इस लिहाज से देखें तो मजदूर संगठनों, लेबर डिपार्टमेंट को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की जरूरत है. यह हादसा उनकी गलती भी है.

ए के जैन की ही तरह स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में अर्बन प्लानिंग प्रोफेसर संजुक्ता भादुरी भी यही मानती हैं कि नियमों की कायदे-कानूनी की जमकर अनदेखी की जाती है और ये एक बहुत बड़ा कारण है इन हादसों का और हादसों में होने वाली मौतों का. वो कहती हैं, इमारतों को बनाने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड्स हैं लेकिन ज्यादातर इन कोड्स का पालन ही नहीं किया जाता है. अवैध तरीके? संजुक्ता भादुरी कहती हैं कि अमूमन माना जाता है कि गर्मियों में ही आग लगती है सर्दियों में नहीं लेकिन यह एक गलतफहमी है. सर्दियों में लोग अपने घरों को अलग-अलग तरह से गर्म रखने के इंतजाम करते हैं जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. वो एक बड़ी वजह ये भी मानती हैं कि लोग अवैध तरीके से बिजली के तार खींच इस्तेमाल करते हैं. लोग पोल से सीधे तार लगाकर बिजली चुराते हैं जो गैर-कानूनी तो है ही साथ ही खतरनाक भी है. संजुक्ता भादुरी भी मानती हैं कि नियमों के अनुसार छह मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए लेकिन इसकी अनदेखी होती है. ऐसे में जब भी ऐसी स्थिति होती है तो रिस्पॉन्स टाइम में वक़्त लगता है. ऐसे में हताहत होने की आशंका बढ़ जाती है. वो कहती हैं कि दिल्ली का मास्टर प्लान देखें उसमें कई नियम हैं जो सुरक्षित निर्माण और सुरक्षित रहने के लिए तय किये गए हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता. लोग रिहायशी घरों का नक्शा दिखाकर उसमें फैक्ट्री चलाने लगते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं और ये एक बड़ी वजह है इस तरह की घटनाओं की. लेकिन अंत में वो ये जरूर कहती हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि नियम हैं, कायदे-कानून हैं लेकिन मॉनिटरिंग नहीं. और अगर कोई इन नियमों का पालन कराने वाला कोई नहीं है तो अनदेखी तो होगी ही. ये नियम सख़्ती से लागू किये जाने चाहिए.

नागरिकता संशोधन बिल लोस में पास, मोदी ने की शाह की तारीफ

विवादित नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में देर रात पास हो गया. सोमवार को देर रात तक चली बहस के बाद वोटिंग हुई जिसमें विधेयक के पक्ष में 311 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 80 वोट पड़े. विधेयक पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि ये भारत की सदियों पुरानी परम्परा और मानवीय मूल्यों में विश्वास के अनुरूप है. मोदी ने उन सांसदों और पार्टियों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसे पास करने में अपना समर्थन दिया. एआईएमआईएम के नेता असद उद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि "आधी रात को एक झटके में, जब पूरी दुनिया सो रही थी, स्वतंत्रता, बराबरी, भाईचारा और इंसाफ के बारे में भारत के आदर्श के साथ धोखा किया गया." उन्होंने लिखा है, "मैं इसके खिलाफ काफी लड़ा और वादा करता हूं कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. निराशा को अपने करीब मत आने देना. निडर बने रहें, मजबूत बने रहें." कांग्रेस ने इस विधेयक को विभाजनकारी बताया है. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने कहा है, "हमारे संविधान के लिए आज काला दिन है क्योंकि जो कुछ हुआ वो असंवैधानिक था. इसका स्पष्ट निशाना मुस्लिम समुदाय है, ये बहुत शर्म की बात है." असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई ने कहा है कि 'असम के लिए ये बहुत ही खतरनाक है.' उन्होंने कहा, "हम बांग्लादेश के पड़ोसी हैं. ये बिल पूर्वोत्तर की आबादी के गठन, विरासत और संस्कृति पर उल्टा असर डालेगा." समर्थन करने वालों में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी शामिल है और इस बात को लेकर पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है, "नागरिकता संशोधन बिल को जेडीयू ने समर्थन दिया है, इससे वो निराश हैं. ये बिल धर्म के आधार पर नागरिकता में भेदभाव वाला है." जेडीयू उपाध्यक्ष ने लिखा है, "ये पार्टी के संविधान के साथ बेतुका है जिसमें पहले ही पेज पर तीन बार सेक्युलर शब्द लिखा है और इसका नेतृत्व गांधी के विचारों से निर्देशित माना जाता है."

क्या नागरिकता संशोधन बिल से खतरे में हैं असमिया संस्कृति!

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया है, "हम जिन्ना और सावरकर के सपने वाले इस विधेयक को खारिज करते हैं. ये असंवैधानिक है और हमारे लोगों को बांटने वाला है. हर संभव मंच पर हम इसके खिलाफ लड़ना जारी रखेंगे."

नागरिकता संशोधन बिल: असम क्यों उबल रहा है

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों खासकर असम में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा अब कई तरह से सामने आ रहा है. विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोग "आरएसएस गो-बैक" के नारे लगा रहे हैं, साथ ही अपने नारों में सत्ताधारी बीजेपी को सतर्क कर रहे हैं. सड़कों पर उतरे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकताओं ने इससे पहले नगरिकता बिल के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया. वहीं, स्थानीय कलाकार, लेखक, बुद्धिजीवी समाज और विपक्षी दलों के लोग अलग-अलग तरीकों से अपना विरोध जता रहे हैं. नागरिकता संशोधन विधेयक को संक्षेप में उअइ भी कहा जाता है और यह बिल शुरू से ही विवादों में रहा है. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 सदन में पेश करने के बाद ही ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्यों ने गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री सवार्नंद सोनोवाल समेत भाजपा सरकार के कई नेता-मंत्रियों के पुतले फूंक कर अपना विरोध दर्ज किया. असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, धेमाजी, शिवसागर और जोरहाट ज़िले की कई जगहों पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर यातायात व्यवस्था ठप कर दी. वहीं रेल की आवाजाही ठप करने और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों के टकराव की खबरें भी सामने आ रही हैं.

आखिर किस बात का डर?

दरअसल पूर्वोत्तर राज्यों के स्वदेशी लोगों का एक बड़ा वर्ग इस बात से डरा हुआ है कि नागरिकता बिल के पारित हो जाने से जिन शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी उनसे उनकी पहचान, भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के मुख्य सलाहकार समुज्जवल भट्टाचार्य भाजपा पर नागरिकता संशोधन बिल की आड़ में हिंदू वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते है. वो कहते हैं, "यह बात अब स्थापित हो गई है कि कांग्रेस ने बांग्लादेशी नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए हम पर आईएमडीटी कानून थोपा था और अब बीजेपी अवैध बांग्लादेशी लोगों को सुरक्षा देने के लिए हम लोगों पर नागरिकता संशोधन बिल थोप रही है. इन सबको बांग्लादेशियों का वोट चाहिए. लेकिन असम के लोग किसी भी कीमत पर इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे." ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन से छात्र राजनीति की शुरूआत करते हुए असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे सवार्नंद सोनोवाल ने प्नदेश में हो रहे व्यापक आंदोलन को देखते हुए कहा,"हमारी सरकार ने कभी भी जाति को नुकसान नहीं पहुंचाया है और कभी नहीं पहुंचाएगी." "हम असमिया जाति की सुरक्षा के लिए शुरू से काम कर रहे हैं और आप लोग हमारे काम को देख रहे हैं. मैं आंदलोन कर लोगों को आह्वान करता हूं कि आप लोग आंदोलन के जरिए असम का भविष्य नहीं बदल सकते."

'नागरिकता संशोधन बिल जिन्ना के विचारों की जीत'

नागरिकता संशोधन बिल के पारित हो जाने से क्या असमिया जाति, भाषा और उनकी संस्कृति पूरी तरह खत्म हो जाएगी. इस सवाल का जवाब देते हुए वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठ नाथ गोस्वामी कहते है, "अगर कैब लागू हो जाता है तो अपने ही प्रदेश में असमिया लोग भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे.

असम में सालों पहले आकर बसे बंगाली बोलने वाले मुसलमान पहले अपनी भाषा बंगाली ही लिखते थे लेकिन असम में बसने के बाद उन लोगों ने असमिया भाषा को अपनी भाषा के तौर पर स्वीकार कर लिया." "राज्य में असमिया भाषा बोलने वाले 48 फीसदी लोग हैं और अगर बंगाली बोलने वाले मुसलमान असमिया भाषा छोड़ देते हैं तो यह 35 फीसदी ही बचेंगे. जबकि असम में बंगाली भाषा 28 फीसदी है और कैब लागू होने से ये 40 फीसदी तक पहुंच जाएगी. फिलहाल असमिया यहां एकमात्र बहुसंख्यक भाषा है." "वो दर्जा कैब के लागू होने से बंगाली लोगों के पास चला जाएगा. इसके अलावा कैब के लागू होने से यहां धार्मिक आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण ज्यादा होगा. स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों की अहमियत घटेगी. भाजपा और आरएसएस के लोग हिंदू के नाम पर सभी लोगों को एक टोकरी में लाने के लिए शुरू से काम कर रहे हैं और काफी हद तक यहां सफल भी हुए हैं."

बिल का किन इलाकों पर पड़ेगा असर?

असम तथा पूर्वोत्तर में कई संगठनों ने आगे लगातार आंदोलन करने की जो घोषणा की है उसके क्या नतीजे निकलेंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए बैकुंठ नाथ गोस्वामी कहते हैं, "ट्राइबल इलाकों में नागरिकता बिल का कोई असर नहीं होगा. मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में यह कानून लागू ही नहीं होगा. ऐसे में यह आंदोलन आगे जाकर कमजोर पड़ जाएगा." "जबकि असम में बोड़ो, कार्बी और डिमासा इलाके संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, लिहाजा वहां वो कानून लागू ही नहीं होगा. बात जहां तक आम असमिया लोगों की है तो भाजपा इनके लिए नई योजनाओं की घोषणा कर इन्हें देर-सबेर अपने पाले में लाने का प्रयास तो करेगी. इससे पहले कांग्रेस भी ऐसी ही लोकलुभावन योजनाओं का प्रलोभन देकर 15 साल तक यहां अपनी राजनीति चलाती रही है." नागरिकता संशोधन बिल में धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, पारसी, जैन और ईसाई लोगों को कुछ शर्तें पूरी करने पर भारत की नागरिकता देने की बात कही जा रही है. लेकिन असम में नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की फाइनल लिस्ट से जिन 19 लाख लोगों को बाहर किया गया है उनमें करीब 12 लाख हिंदू बंगाली बताए जा रहे हैं. पहले बीजेपी नेताओं का एनआरसी को पूरी तरह खारिज करना और अब नागरिकता संशोधन बिल को सदन से पारित करवाने के प्रयास को पार्टी के हिंदू वोट बैंक की राजनीति से ही जोड़कर देखा जा रहा है.

जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन

पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों के छात्र निकाय नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंटस ऑर्गनाइजेशन ने मंगलवार को सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूर्वोत्तर राज्यों में बंद का आह्वान किया है. राज्य के करीब 30 नागरिक संगठनों ने स्टूडेंटस ऑर्गनाइजेशन के इस बंद को अपना समर्थन दिया है. इस बीच, ऑल असम सूटीया स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन और ऑल असम मोरान स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ने सोमवार सुबह से असम में 48 घंटे का बंद बुलाया है जिसका ऊपरी असम के करीब आठ ज़िलों में व्यापक असर देखने को मिल रहा है. इस नागरिकता बिल को लेकर सोशल मीडिया पर सैकड़ों की तादाद में लोग मुख्यमंत्री सोनोवाल के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं. मुख्यमंत्री सोनोवाल ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था कि असम को अगर औद्योगीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो इसके लिए राज्य में शांति का माहौल होना आवश्यक है. इस विवादित बिल के खिलाफ गुवाहाटी विश्वविद्यालय के एक छात्र ने अपने खून से एक संदेश लिखकर विरोध जताया है. सोशल मीडिया पर इस छात्र का एक वीडियो फुटेज वायरल हो रहा है, जहां वो अपनी कटी हुई कलाई के खून से लिखकर इस बिल का विरोध कर रहा है. नागरिकता संशोधन विधेयक क्या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है?सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 जब लोकसभा में पेश किया गया तो सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि ये विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5, 10, 14 और 15 की मूल भावना का उल्लंघन करता है. कई राजनीतिक और सामाजिक तबके इस विधेयक को विवादित मान रहे हैं. जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख) से ताल्लुक रखने वाले लोगों को, कुछ शर्तों के साथ भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है. आलोचकों का कहना है कि इसमें मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया है हालांकि गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि ये बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है. तो ये अनुच्छेद क्या कहते हैं और क्या नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 इन अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है? ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने हिमाचल प्रदेश की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चंचल सिंह से संपर्क किया. पहले के नागरिकता अधिनियम, 1955 में अवैध तरीके से बाहर से आए लोगों की एक परिभाषा है. इसमें दो श्रेणियां हैं- एक जो बिना दस्तावेजों के आए हैं और दूसरे, जो सही कागजात के साथ तो आए थे लेकिन तय वक़्त के बाद भी भारत में ही रह रहे हैं. इसी के सेक्शन दो में एक संशोधन किया जा रहा है. बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले छह समुदायों को अवैध आप्रवासी की श्रेणी से हटा दिया गया है लेकिन इस संशोधन विधेयक में 'मुसलमान' शब्द का ज़िक्र नहीं है. यानी अगर इन तीन देशों से कोई बिना दस्तावेजों के आया है और वो मुसलमान है तो अवैध आप्रवासी ही माना जाएगा और उन्हें भारत में शरण या नागरिकता की

अजी देने का अधिकार नहीं होगा. अब तक बिना दस्तावेजों के साथ भारत आने वालों में कोई भी नागरिकता के योग्य नहीं था, लेकिन ये विधेयक पास होने के बाद मुसलमानों को छोड़कर बाकी छह समुदाय के लोग इसके योग्य हो जाएंगे. इसलिए कहा जा रहा है कि धार्मिक आधार पर मुसलमान समुदाय के साथ भेदभाव हो रहा है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है. अब बात उन अनुच्छेदों की जिनका कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ज़िक्र किया.

अनुच्छेद 5

अनुच्छेद पांच में बताया गया है कि जब संविधान लागू हो रहा था तो उस वक़्त, कौन भारत का नागरिक होगा.

इनके मुताबिक-

अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा था, या
जिसके माता या पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 सालों तक भारत में रहा हो, तो वो भारत का नागरिक होगा. 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस दिन से कौन लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, अनुच्छेद पांच इससे संबंधित है. प्रोफेसर चंचल सिंह के मुताबिक, "अनुच्छेद-5 जिस भावना में लिखा गया है, उस भावना की बात की गई है, लेकिन बहुत हद तक ये सही तर्क नहीं है कि ये अनुच्छेद-5 का उल्लंघन है. क्योंकि जब संविधान लागू हो गया तो अनुच्छेद-5 का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है. उसके बाद अनुच्छेद-7, 8, 9, 10 अहम हो जाता है. इसके बाद अनुच्छेद 11 महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो संसद को बहुत व्यापक शक्ति दे देता है."

नागरिकता संशोधन विधेयक: हिटलर के कानून से भी बदतर-ओवैसी

अनुच्छेद 10

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना. विपक्ष का कहना है कि ये अनुच्छेद नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है. लेकिन प्रोफेसर चंचल कहते हैं कि अनुच्छेद 10 में नागरिकता के बने रहने की बात है, लेकिन नए नागरिकता संशोधन बिल में भी नागरिकता खत्म किए जाने की बात नहीं है. उनके मुताबिक इस नए बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कहता है कि अगर आप आज नागरिक है तो कल से नागरिक नहीं माने जाएंगे. मतलब जो भी नागरिकता एक बार मिल गई वो आगे भी बनी रहेगी. उनके मुताबिक नया नागरिकता संशोधन बिल सीधे तौर पर इस अनुच्छेद 10 का उल्लंघन नहीं करता है और अनुच्छेद 11, अनुच्छेद नौ और 10 को ओवरराइट कर सकता है. प्रोफेसर चंचल सिंह कहते हैं, "यहां अनुच्छेद पांच और दस का उल्लंघन होता हुआ तो नहीं लगता, लेकिन अनुच्छेद 11 में संसद के पास कानून बनाने का जो बहुत ही व्यापक अधिकार है, उसके तहत संसद अनुच्छेद पांच और 10 के प्रावधानों के इतर भी कानून बना सकती है. लेकिन उस व्यापक शक्ति के आधार पर भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता. क्योंकि अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान के पार्ट 3 के किसी प्रावधान के विरुद्ध होता है तो वो असंवैधानिक हो जाएगा."

अनुच्छेद 14

विधि के समक्ष समता- भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा. प्रोफेसर चंचल कहते हैं, "भारत के संविधान का आधार समानता है. साफ तौर पर जब उल्लंघन हो रहा है तो उन भावनाओं पर आघात हो रहा है. लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है. जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी विधान की वेलिडिटी जांचती है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर, लेजिस्लेशन पर नहीं लगाती. वो सिर्फ संविधान संशोधन एक्ट पर लगता है. इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ये नया विधेयक इम्यून हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के पास कई आधार हैं. पहला ग्राउंड तो अनुच्छेद 13 है. अगर कोर्ट को लगता है कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो अनुच्छेद 13 का इस्तेमाल कर सकता है." नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी

अनुच्छेद 15

राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा. प्रोफेसर चंचल कहते हैं कि अनुच्छेद 14 और 15 के उल्लंघन के आधार पर कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है और सरकार के लिए कोर्ट में इसका बचाव करना मुश्किल होगा. वो मानते हैं कि इस विधेयक से साफ तौर पर धार्मिक आधार पर भेदभाव होगा.

"इस नए संशोधन विधेयक की प्रस्तावना में लिखा है कि ये छह समुदाय उन देशों में प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि वे इस्लामिक देश हैं. लेकिन कानूनी तौर पर ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि सिर्फ इन्हीं धर्मों के लोग प्रताड़ित होते हैं और ये आधार हमारे संविधान में नहीं बन सकता. किसी की अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता. क्योंकि अनुच्छेद 14 के तहत किसी नागरिक को अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति को प्राप्त है जो हिंदुस्तान में है. भले वो अवैध तरीके से ही क्यों ना आया हो. इसलिए धर्म या किसी और आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता. इसका मतलब ये नहीं है कि अनुच्छेद 14 और 15 के अधिकारों के कारण उनकी अवैधता खत्म हो गई, लेकिन इसके तहत उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता."

अनुच्छेद 11

इसमें संसद के पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता को रेगुलेट कर सकती है. यानी वो तय कर सकती है कि किसको नागरिकता मिलेगी, कब मिलेगी, कब कौन अयोग्य हो जाएगा और कोई विदेशी किन स्थितियों में भारत का नागरिक बन सकता है. इन सारी बातों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है.

अनुच्छेद 13

भाग तीन में भारत के नागरिकों और भारत में रहने वालों को कई मौलिक अधिकारों की बात है. अनुच्छेद 13 कहता है कि न तो संसद और न ही सरकार या कोई राज्य कोई ऐसा कानून बना सकता है जो इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो.

असम में दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के दरवाजे बंद

अगर आपके पास भी दो से अधिक बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. यह फैसला लिया है असम की सरकार ने. असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं देने का फैसला लिया है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं. मुख्यमंत्री सबार्नंद सोनोवाल की कैबिनेट ने सोमवार को यह फैसला लिया. इसके अनुसार 1 जनवरी, 2021 के बाद से दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी. दरअसल 126 सीटों वाली असम विधानसभा ने दो साल पहले जनसंख्या नीति को अपनाया था और अब सोनोवाल सरकार ने यह फैसला लिया है. तब यानी सितंबर 2017 में असम विधानसभा ने असम की श्जनसंख्या और महिला सशक्तीकरण नीतिश पारित की थी ताकि छोटे परिवार को प्रोत्साहित किया जा सके. इस नीति के अनुसार सरकारी नौकरी पाने के लिए वो लोग उम्मीदवार नहीं बन सकते जिनके दो से अधिक बच्चे हैं. इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को भी दो-बच्चे के मानक का सख्ती से पालन करना होगा.

राजनीतिक महत्वकांक्षा

हालांकि सत्तारूढ़ बीजेपी के इस फैसले को प्रदेश में उनकी लंबी राजनीतिक महत्वकांक्षा से जोड़कर भी देखा जा रहा है क्योंकि साल 2011 की जनगणना के हिसाब से असम की कुल आबादी 3 करोड़ 11 लाख 69 हजार में मुसलमानों की जनसंख्या करीब 1 करोड़ 67 लाख 9 हजार है. यानी राज्य की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की आबादी 34.22 फीसदी यानी एक तिहाई से अधिक है. इसके अलावा यहां के 33 में नौ जिले मुसलमान बहुल हैं. ऐसे में जनसंख्या नीति के अंतर्गत छोटे परिवार को सरकारी नौकरी देने के बीजेपी सरकार के इस फैसले को वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठ नाथ गोस्वामी पार्टी के राजनीतिक फायदे से जोड़कर देख रहे हैं.

वे कहते है, ष्जनसंख्या नीति के तहत अगर सरकार को कोई काम करना था तो उसे जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए मौजूदा जागरूकता कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाना चाहिए था. यह नीति कि दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है. यह कहकर नौकरी नहीं दिया जाना कि आपके दो से अधिक बच्चे हैं, संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा. वो आगे कहते

है, ष्दरअसल राज्य में मुसलमानों के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज्यादा है. इसका मुख्य कारण उनमें शिक्षा की दर का कम होना है. अगर इस विषय का राजनीतिक पहलू देखे तो बीजेपी को इसमें राजनीतिक फायदा है. वो लोग चाहते है कि मुसलमानों की जनसंख्या कम हो. क्योंकि लोकतंत्र में सारा खेल नंबर का ही है. फिलहाल हमलोग 2011 की जनगणना पर निर्भर है लेकिन 2021 की जनगणना की जो रिपोर्ट आएगी उसमें प्रतिशत के आधार पर असम में मुसलमानों की ग्रोथ रेट पहले के मुकाबले कम होगी. बीजेपी की इतनी कोशिशों के बावजूद पिछले चुनाव में देश के मुसलमानों के कुल वोटों का केवल 6 प्रतिशत वोट ही उन्हें मिला था.

हालांकि बीजेपी ने इस तरह के किसी भी राजनीतिक फायदे की बात से इनकार किया है. असम प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गुप्ता ने बीबीसी से कहा, ष्हमारी पार्टी जनसंख्या नीति के तहत यह काम कर रही है. जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही उससे तमाम सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है. इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हमारी सरकार ने लोगों से गुजारिशें की है कि वे दो बच्चे ही पैदा करें. वे कहते हैं, ष्यह काम थोड़ा बाध्यतामूलक लगता है लेकिन इससे उन तमाम परिवारों को भी कई तरह से राहत मिलेगी. सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग इस नीति को ध्यान में रखेंगे. इसमें किसी के साथ अन्याय करना या फिर राजनीतिक तौर पर किसी धर्म विशेष से जोड़कर देखना ठीक नहीं है. दो संतान पैदा करने से आर्थिक रूप से भी वो परिवार आगे बढ़ेगा. वरना कम समय के भीतर ज्यादा संतान पैदा करने से पहले वाले बच्चों के पालन पोषण का बोझ बढ़ेगा और वहीं बेरोजगारी भी बढ़ाएगी. यह नीति सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान.

अगर दूसरा बच्चा जुड़वा हुआ तो?

वहीं सरकारी नौकरी करने वाली इंदिरा गोगोई इस तरह की नीति के खिलाफ तो नहीं लेकिन इसमें परेशानी जरूर देखती हैं.

वे कहती हैं, ष्सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि दो बच्चे पैदा करने वाली नीति को किसे ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. क्योंकि शिक्षित लोग तो दो से ज्यादा बच्चे पैदा करते ही नहीं है. अगर बात आर्थिक रूप से कमजोर चाय जनजाति या फिर किसी दूसरे समुदाय की है तो वो लोग भी आजकल कम बच्चे पैदा करते हैं. फिर यह नीति विशेष तौर पर किन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. वे एक अहम मुद्दा उठाते हुए कहती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पहले बच्चे के जन्म के बाद किसी को जुड़वा बच्चा हो जाते हैं और ऐसे में उस परिवार में बच्चों की संख्या तीन हो जाएगी. क्या ऐसी स्थिति में उस परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी. इस नीति में ऐसे कई बिंदु हैं जिनपर सरकार को लोगों से बात करनी चाहिए.

कांग्रेस का क्या है कहना?

असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा ने बीबीसी से कहा, ष्देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर हम पूरी तरह चिंतित हैं लेकिन केवल दो बच्चे पैदा करने वाला कानून बनाने से जनसंख्या को रोका नहीं जा सकता. जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हम एकमत है लेकिन इसके लिए कानून से नहीं बल्कि लोगों के दिल से सोचना होगा. लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा और उनमें पूरी जागरूकता लानी होगी.असम सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में नई भूमि नीति को भी मंजूरी दी गई जिससे भूमिहीन स्थानीय लोगों को तीन बीघा कृषि भूमि और एक मकान बनाने के लिए आधा बीघा जमीन देने का फैसला लिया गया है.

आनंद भवन पर चार करोड़ का कर बाकी, मिला नोटिस

तत्कालीन इलाहाबाद और अब प्रयागराज में शहर के बीचोंबीच स्थित आनंद भवन शुरू से ही स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित तमाम गतिविधियों का केंद्र रहा है. मोतीलाल नेहरू ने इसका निर्माण कराया था और साल 1930 में इसे उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया.मोतीलाल नेहरू और जवाहर लाल नेहरू के पैतृक घर और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की तमाम ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे आनंद भवन पर अब प्रयागराज नगर निगम की नजर टेढ़ी हो गई है. निगम ने आनंद भवन और उसके आस-पास के भवनों पर चार करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया गृहकर की वसूली के लिए नोटिस भेज दिया है. नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, नोटिस इस आधार पर दिया गया है कि आनंद भवन और आस-पास की इमारतों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और इसलिए बढ़ाए गए हाउस टैक्स का भुगतान किया जाना चाहिए. तत्कालीन इलाहाबाद और अब प्रयागराज में शहर के बीचोंबीच स्थित आनंद भवन शुरू से ही स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित तमाम गतिविधियों का केंद्र रहा है. मोतीलाल नेहरू ने इसका निर्माण कराया था और साल 1930 में इसे उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया. मोतीलाल नेहरू और जवाहर लाल नेहरू के पैतृक घर और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की तमाम ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे आनंद भवन पर अब प्रयागराज नगर निगम की नजर टेढ़ी हो गई है. निगम ने आनंद भवन और उसके आस-पास के भवनों पर चार करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया गृहकर की वसूली के लिए नोटिस भेज दिया है. नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, नोटिस इस आधार पर दिया गया है कि आनंद भवन और आस-पास की इमारतों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और इसलिए बढ़ाए गए हाउस टैक्स का भुगतान किया जाना चाहिए. आनंद भवन, स्वराज भवन और जवाहर तारामंडल एक ही बड़े परिसर के भीतर स्थित हैं. इन तीनों इमारतों की देख-रेख जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड की ओर से किया जाता है.

स्वराज भवन और आनंद भवन अब संग्रहालय में तब्दील हो चुके हैं. स्वराज भवन में नेहरू परिवार से संबंधित वस्तुओं का संग्रहालय है तो आनंद भवन में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ऐतिहासिक वस्तुओं और दस्तावेजों को सहेजकर रखा गया है. बताया जा रहा है कि संग्रहालय में कुछ स्थानों पर जाने के लिए और तारामंडल देखने के लिए ट्रस्ट की ओर से टिकट के पैसे वसूले जाते हैं और इसीलिए इसे एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बताया जा रहा है. प्रयागराज नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र कहते हैं, ष्करीब दो हफ्ते पहले हमने आनंद भवन, स्वराज भवन और जवाहर तारामंडल को गृह कर का एक नोटिस भेजा था. जवाब में हमें दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के प्रशासनिक सचिव एन. बालकृष्णन का पत्र मिला है. पत्र को ज्यादा जानकारी के लिए जोनल कार्यालय के पास भेज दिया गया है. रिपोर्ट मिलने के बाद आगे कोई निर्णय लिया जाएगा.

नेहरू-एडविना की नजदीकी से जलने वाली महिला कौन थीं?

जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि नामक ट्रस्ट के अधीन

आनंद भवन, स्वराज भवन और तारामंडल पर ब्याज समेत करीब चार करोड़ पैंतीस लाख रुपये गृहकर के बकाये का नोटिस जारी हुआ है. नगर निगम से नोटिस मिलने के बाद ट्रस्ट के नई दिल्ली स्थित दफ्तर से मेयर के नाम चिट्ठी आई है जिसमें अनुरोध किया गया है कि इस टैक्स का पुनरीक्षण कराकर दोबारा गृहकर का विवरण भेजा जाए. प्रयागराज नगर निगम की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी कहती हैं, ष्आनंद भवन शहर की एक ऐतिहासिक धरोहर है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेज तो देने ही होंगे. यदि यह दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाते हैं तो गृहकर माफ कर दिया जाएगा क्योंकि ट्रस्ट के नाते उस पर टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन यदि इन जगहों पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही होंगी, तब तो टैक्स देना ही पड़ेगा. प्रयागराज नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, गृहकर कई साल से बकाया है और धीरे-धीरे बढ़ते हुए ये इतना ज्यादा हो गया. प्रयागराज नगर निगम के कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र कहते हैं, ष्साल 2003 से गृहकर बकाया है. हर साल बिल भेजा जाता है और ट्रस्ट की ओर से कुछ भुगतान भी होता है. लेकिन लंबे समय से पूरे बिल का भुगतान नहीं किया गया है इसलिए ये राशि बढ़कर चार करोड़ रुपये से ऊपर की हो गई है. साल 2003 में गृहकर का पुनरीक्षण भी हो चुका है लेकिन ट्रस्ट ने उसे न्यायालय में चुनौती दे रखी है.पीके मिश्र बताते हैं कि साल 2014 में गृहकर का एक बार फिर पुनरीक्षण हुआ था जबकि ट्रस्ट के अधिकारियों का कहना है कि जब मामला अदालत में है तो नगर निगम बार-बार अपनी तरह से टैक्स निर्धारित करके क्यों भेज रहा है. नई

नगर निगम से नोटिस मिलने के बाद ट्रस्ट के नई दिल्ली स्थित दफ्तर से मेयर के नाम चिट्ठी आई है जिसमें अनुरोध किया गया है कि इस टैक्स का पुनरीक्षण कराकर दोबारा गृहकर का विवरण भेजा जाए. प्रयागराज नगर निगम की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी कहती हैं, ष्आनंद भवन शहर की एक ऐतिहासिक धरोहर है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेज तो देने ही होंगे. यदि यह दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाते हैं तो गृहकर माफ कर दिया जाएगा क्योंकि ट्रस्ट के नाते उस पर टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन यदि इन जगहों पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही होंगी, तब तो टैक्स देना ही पड़ेगा.

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के सचिव एन. बालकृष्णन मीडिया से बातचीत में कहते हैं, ष्साल 2003-04 में ट्रस्ट को तीन हजार रुपये का बिल मिला था, जिसका भुगतान किया गया था. साल 2005 में करीब पचीस लाख रुपये का बिल हमारे पास भेज दिया गया. जबकि साल 2013-14 तक 12.34 लाख रुपये वार्षिक की दर से बिल भेजा जाता रहा, लेकिन 2014-15 से इसे घटाकर 8.27 लाख रुपये कर दिया गया.

इलाहाबाद जैसे गढ़ में कांग्रेस को उम्मीदवार के पड़े लाले?

एन. बालाकृष्णन कहते हैं कि जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड एक धर्मार्थ ट्रस्ट है और किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में यह शामिल नहीं है. उनके मुताबिक, ष्पूरे परिसर में पिछले चार दशक से कोई नया निर्माण नहीं किया गया है, फिर भी हाउस टैक्स कई गुना बढ़ा दिया गया. हाउस टैक्स की गणना ठीक से नहीं की गई और यहां तक कि इसमें खाली जमीन को भी शामिल करके टैक्स लगा दिया गया है. ट्रस्ट को नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117 बी के तहत इस तरह के करों से छूट दी गई है.

जानकारों के मुताबिक, आनंद भवन, स्वराज भवन और तारामंडल का गृहकर पहले मात्र 600 रुपये था और साल 2003 तक यही धनराशि जमा की जाती रही. साल 2003 में जब नगर निगम ने टैक्स बढ़ा दिया तो उसके पुनरीक्षण के लिए अदालत की शरण ली गई. इस बीच, नगर निगम टैक्स भेजता रहा और ट्रस्ट की ओर से सिर्फ छह सौ रुपये जमा किए जाते रहे. यही बकाया राशि बढ़कर करीब साढ़े चार करोड़ रुपये हो गई है. नगर निगम के अधिकारियों का सवाल है कि यदि जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड एक ट्रस्ट था तो लगातार हाउस टैक्स यहां से जमा क्यों होता रहा. ट्रस्ट ने हाउस टैक्स लगाने पर आपत्ति नहीं की थी बल्कि बढ़ाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी और मामले को

न्यायालय ले गए थे. स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े तमाम कार्यक्रम और बैठकें तो यहां होती ही थीं लंबे समय तक यह कांग्रेस पार्टी का दफ्तर भी बना रहा. देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म भी आनंद भवन में ही हुआ था.

यूं तो यह भवन लंबे समय से प्रयागराज का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन चुका है लेकिन कांग्रेस पार्टी की तमाम यादें भी इससे जुड़ी हुई हैं. इसीलिए जब बकाया गृहकर के लिए नोटिस भेजने का मामला नगर निगम सदन की बैठक में आया तो तमाम कांग्रेसी पार्षदों ने इसका यह कहकर विरोध किया कि एक ऐतिहासिक धरोहर पर टैक्स लगाना उचित नहीं है. आनंद भवन के मुख्य केयर टेकर डॉक्टर रवि किरण इस मुद्दे पर यह कहकर कुछ भी बोलने से इनकार कर देते हैं कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन प्रयागराज के कांग्रेसी नेता इस पर काफी भड़के हुए हैं. शहर कांग्रेस अध्यक्ष रहे अभय अवस्थी कहते हैं, ष्आनंद भवन एक ऐतिहासिक धरोहर है. नेहरू परिवार ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था. यहां कौन सी व्यावसायिक गतिविधि हो रही है? सच तो ये है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर कांग्रेस पार्टी, नेहरू परिवार और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित धरोहरों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को खत्म करने पर तुली है. नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, जलियांवाला बाग ट्रस्ट और अब आनंद भवन सब उसी साजिश की कड़ी हैं.

बीपीसीएल समेत पांच कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

एनडीए सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) समेत पांच सरकारी कंपनियों के विनिवेश को मंजूरी दे दी है. एक संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के इन बड़े फैसलों की जानकारी दी है.वित्त मंत्री ने बताया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ कंटेनर कॉरपोरेशन (कॉनकॉर), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीएल), नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) और शिपिंग कॉरपरेशन (एससीआई) के विनिवेश को भी मंजूरी मिलीहै.

कैबिनेट के फैसले

1. केंद्र सरकार दो बड़ी कंपनियां, बीपीसीएल की 53.4: और शिपिंग कॉरपरेशन की 63.5: हिस्सेदारी को बेचेगी. बीपीसीएल में केंद्र की हिस्सेदारी 53.29 फीसदी है. 2. विनिवेश प्रक्रिया में नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बीपीसीएल की 61 फीसदी हिस्सेदारी शामिल नहीं है. मंत्रिमंडल ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी की हिस्सेदारी को छोड़कर बीपीसीएल में प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है.

3. कैबिनेट से शेयर हिस्सेदारी को 51 फीसदी से नीचे लाने को मंजूरी मिली है. यानि बीपीसीएल के अलावा चार अन्य सरकारी कंपनियों में भी सरकार द्वारा अपने निवेश बेचने के बाद सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी से नीचे रह जाएगी.

4. बीपीसीएल के अलावा शिपिंग कॉरपरेशन यानि भारतीय जहाजरानी निगम के रणनीतिक विनिवेश को भी मंजूरी दी गई है. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की 63.75 प्रतिशत की बिक्री और कंटेनर कॉरपोरेशन में 30.9 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश की भी मंजूरी मिली.

5. मंत्रिमंडल ने कॉनकॉर, टीएचडीसीआईएल में भी प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है. सरकार के पास फिलहाल कॉनकोर में 54.80 फीसदी हिस्सेदारी है.

निर्मला सीतारमण के सामने अर्थव्यवस्था की कौन-कौन सी चुनौतियां हैं?

6. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) टीएचडीसीआईएल में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी. इसके अलावा यह कंपनी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) में भी सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी.

7. मंत्रिमंडल ने प्रबंधन नियंत्रण को जारी रखते हुए इंडियन ऑयल जैसे चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत से कम करने को मंजूरी दी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में विनिवेश की मदद से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. अब तक करीब 17365 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) के प्रस्तावित विनिवेश की खबरों की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के एक सदस्य ने लोकसभा में बुधवार को इस तरह के फैसले को देशहित के लिए नुकसानदेह बताते हुए सरकार से इस पर पुनर्विचार की मांग की. कांग्रेस के हीबी इडन ने नियम 377 के तहत इस विषय को उठाते हुए कहा कि खबरों के अनुसार बीपीसीएल के विनिवेश का सैद्धांतिक फैसला लिया गया है जो देशहित के लिए नुकसान वाला है

भारतीय अर्थव्यवस्था में अब भी गड़बड़ी - प्रमुख

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत ने अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों पर काम किया है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो लंबी अवधि के विकास के लिए जरूरी हैं उन पर काम किए जाने की जरूरत है.

आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जिवा ने गुरुवार को वाशिंगटन में संवाददाताओं से कहा, ष्भारत ने अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों पर काम किया है लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिस पर काम किए जाने की जरूरत है. वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर, विशेष रूप से गैर बैंकिंग संस्थाओं को लेकर सुधार किए जाने की जरूरत है. आईएमएफ ने मंगलवार को अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की ताजा रिपोर्ट में भारत के विकास दर के अनुमान को 0.90 बेसिस पॉइंट घटाते हुए 6.1 फीसदी कर दिया है.

यह इस साल तीसरी बार है जब आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर में कटौती की है. जुलाई के महीने में ही आईएमएफ ने 2019-20 में भारतीय विकास दर के 7 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था जबकि इसी वर्ष अप्रैल में इसके 7.3 फीसदी रहने की बात की थी. हालांकि आईएमएफ ने 2020-21 में इसमें सुधार की उम्मीद भी जताई है.

श्राजकोषीय घाटे पर लगे लगाम बुल्गारिया की इकोनॉमिस्ट क्रिस्टलीना जॉर्जिवा सितंबर के अंत में ही आईएमएफ की प्रमुख बनी हैं. उनके इस पद पर आने के बाद पहली बार ये आंकड़े आए हैं. जॉर्जिवा ने कहा कि, ष्भारत को उन चीजों पर काम जारी रखना होगा जो लंबे समय तक विकास की गति को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं. साथ ही उनका कहना था कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए काम कर रही है, लेकिन भारत को अपने राजकोषीय घाटे पर लगाम लगानी होगी. हालांकि जॉर्जिवा ने कहा कि ष्बीते कुछ वर्षों में भारत में विकास दर बहुत मजबूत रही है और आईएमएफ अभी भी उसके लिए बेहद मजबूत विकास दर का अनुमान लगा रही है. 6.1 फीसदी विकास पर क्या बोलीं निर्मला सीतारमण? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विकास दर को 6.1 फीसदी किए जाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी बयान आया है. आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने वाशिंगटन पहुंचीं सीतारमण ने कहा कि ष्भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और आईएमएफ ने भले ही विकास दर के अनुमानों को घटा दिया है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था अब भी सबसे तेजी से विकास कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि ष्मैं चाहती हूं कि यह और तेजी से विकास कर सके. इसके लिए मैं हरसंभव कोशिश करूंगी लेकिन सच यह है कि भारत अब भी तुलनात्मक रूप से तेजी से विकास कर रहा है.

डींगरपुरः ऑटो सेक्टर की सुस्ती की मार झेलता एक गाँव।

क्या है भारत में सुस्ती का कारण?

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा था कि ष्एक दशक पहले आए वित्तीय संकट के बाद पहली

बार सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था इतनी सुस्त दिखाई दे रही है. भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि, ष्कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की कमजोरी और उपभोक्ता और छोटे और मध्यम दर्जे के व्यवसायों के कर्ज लेने की क्षमता पर पड़े नकारात्मक असर के कारण भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में कमी आई है. आईएमएफ के मुताबिक ष्लगातार घटती विकास दर का कारण घरेलू मांग का उम्मीद से अधिक कमजोर रहना है. मानव पूंजी में निवेश भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. कामगारों में महिलाओं की तादाद लगातार बढ़ाते रहने की जरूरत है. यह बेहद महत्वपूर्ण है. भारत में महिलाएं बहुत प्रतिभाशाली हैं लेकिन वे घर पर रहती हैं.

पूरी दुनिया की विकास दर महज 3 फीसदी

मुद्राकोष ने अनुमान लगाया है कि इस साल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर मात्र 3 फीसदी ही विकास होगा लेकिन इसके 2020 में 3.4 तक रहने की उम्मीद है. आईएमएफ ने यह भी कहा, ष्वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है और हम 2019 के विकास दर को एक बार फिर से घटाकर 3 फीसदी पर ले जा रहे हैं जो कि दशक भर पहले आए संकट के बाद से अब तक के सबसे कम है. ये जुलाई के वैश्विक विकास दर के उसके अनुमान से भी कम है. जुलाई में यह 3.2 फीसदी बताई गई थी. आईएमएफ ने कहा, ष्आर्थिक वृद्धि दरों में आई कमी के पीछे विनिर्माण क्षेत्र और वैश्विक व्यापार में गिरावट, आयात करों में बढ़ोतरी और उत्पादन की मांग बड़े कारण हैं. आईएमएफ ने कहा इस समस्या से निपटने के लिए नीति निमार्ताओं को व्यापार में रूकावटें खत्म करनी होंगी, समझौतों पर फिर से काम शुरू करना होगा और साथ ही देशों के बीच तनाव कम करने के साथ-साथ घरेलू नीतियों में अनिश्चितता खत्म करनी होगी.

दुनिया के कई देशों पर होगा असर?

आईएमएफ का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती के कारण इस साल दुनिया के 90 फीसदी देशों में वृद्धि दर कम ही रहेगी. आईएमएफ ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में तेजी से 3.4 फीसदी तक जा सकती है. हालांकि इसके लिए उसने कई खतरों की चेतावनी भी दी है क्योंकि यह वृद्धि भारत में आर्थिक सुधार पर निर्भर होने के साथ-साथ वर्तमान में गंभीर संकट से जूझ रही अर्जेंटीना, तुर्की और ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करती है. उन्होंने कहा, ष्इस समय पर कोई भी गलत नीति जैसे कि नो-डील ब्रेक्सिट या व्यापार विवादों को और गहरा करना, विकास और रोजगार सृजन के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है. आईएमएफ के अनुसार कई मामलों में सबसे बड़ी प्राथमिकता अनिश्चितता या विकास के लिए खतरों को दूर करना है.

पाकिस्तान और श्रीलंका के रिश्तों से भारत बेचैन : पाकिस्तान उर्दू अखबारों का रिव्यू

पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ़्ते बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर हमला, पाकिस्तानी विदेश मंत्री का श्रीलंकाई दौरा, नवाज शरीफ से जुड़े मुद्दे सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहें.

सबसे पहले बात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की.

अखबार एक्सप्रेस के अनुसार बिलावल भुट्टो ने कहा कि कानून में बदलाव से पहले ही पाकिस्तान में एक नया प्रधानमंत्री होगा.

अखबार के अनुसार बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा के सेवा विस्तार के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार है. बिलावल ने कहा कि जहाँ तक कानून के जानकारों का सवाल है, उनका कहना है कि सेना प्रमुख की सेवा विस्तार के लिए संविधान संशोधन बिल लाना होगा.

बिलावल ने कहा कि वो चाहते हैं कि इस पर फैसला सर्वसम्मति से हो लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान खान खुद नहीं चाहते कि आम राय से कोई फैसला हो.

पाकिस्तान के लिए अहम श्रीलंका

पाकिस्तान और चीन के अधिकारियों ने एक ही दिन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे से मुलाकात की जिससे भारत बेचैन हो गया है.

अखबार एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और चीनी अधिकारी का एक ही दिन कोलंबो

पहुँचना महज संयोग है या फिर दोनों ने मिलकर ऐसी रणनीति बनाई है.अखबार के अनुसार ये इस बात की ओर संकेत हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को कितनी अहमियत देते हैं. पाकिस्तान और चीन दोनों ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति को अपने-अपने देशों में आने की दावत भी दी. अखबार लिखता है कि पाकिस्तान और चीन की इस राजनयिक पहल से भारत बेचैन नजर आता है क्योंकि भारत को पता है कि राजपक्षे परिवार के पाकिस्तान और चीन से बहुत अच्छे संबंध हैं. शाह महमूद कुरैशी ने ये भी कहा कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दौरे के बाद से ही पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हुई है.

अमरीका जाएंगे नवाज?

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इलाज के लिए अमरीका ले जाना पड़ सकता है.

शरीफ इन दिनों इलाज के लिए लंदन में हैं. अखबार जंग के अनुसार नवाज शरीफ के परिजनों का कहना है कि उनकी तबीयत में कोई खास बेहतरी नहीं हो रही है. परिजनों का कहना है कि उनके दिमाग को खून पहुँचाने वाली धमनियां काम नहीं कर रही हैं और इसका हल ब्रिटेन के डॉक्टरों के पास भी नहीं है और इसलिए उन्हें इलाज के लिए अमरीका ले जाना पड़ सकता है.

कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ सऊदी

सऊदी अरब ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को समर्थन का आश्वासन दिलाया है.

अखबार नवा-ए-वक़्त के अनुसार सऊदी अरब शूरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम अल-शेख ने पाकिस्तान का दौरा किया और प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात की. अखबार के अनुसार इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं. इस मुलाकात में पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा कि भारत प्रशासित कश्मीर में फासिस्ट बीजेपी सरकार के हाथों 126 दिन से कर्फ्यू और मीडिया ब्लैक आउट कश्मीरी जनता के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल के जरिए भारत की मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ की जाने वाली साज़िश को दुनिया के सामने लाना होगा.

ग्रे लिस्ट से बाहर होगा पाकिस्तान?

पाकिस्तानत ने एफएटीएफ (फाइनानशियल एक्शन टास्क फोर्स) से अपना नाम ग्रे लिस्ट से निकलवाने के लिए 22 सिफारिशों का जवाब भेज दिया है. अक्तूबर में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखते हुए चेतावनी दी थी कि अगर फरवरी 2020 तक पाकिस्तान ने इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए तो उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है. अखबार नवा-ए-वक़्त के अनुसार अब पाकिस्तान ने 22 सिफारिशों पर आधारित अपना जवाब एफएटीएफ को भेज दिया है. अखबार के अनुसार एफएटीएफ ने कुल 27 सिफारिशात किए थे जिनमें से पाँच के जवाब पर एफएटीएफ ने अक्तूबर में ही संतुष्टि जताई थी. बाकी 22 मामलों पर पाकिस्तान ने अब अपना जवाब दाखिल कर दिया है.

आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है. अखबार दुनिया के अनुसार एशियाई डेवेलपमेंट बैंक (एडीबी) ने पाकिस्तान को एक अरब डॉलर कर्ज. को मंजूरी दे दी है. अखबार के अनुसार मनीला स्थित बैंक के मुख्यालय में कार्यकारी बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया. आईएमएफ ने पाकिस्तान को छह अरब डॉलर कर्ज. दिया है जबकि दूसरी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने कुल मिलाकर पाकिस्तान को 38 अरब डॉलर का कर्ज. देने की घोषणा की है.

यहां राजनीति से अपराध को बढ़ावा मिलता है

उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला प्रदेश के रेप कैपिटल के रूप में उभरकर सामने आया है। इस वर्ष 2019 में जनवरी से लेकर नवंबर तक 86 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 63 किलोमीटर दूर और कानपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित उन्नाव की जनसंख्या 31 लाख है। खबरों के अनुसार, इसी दौरान जिले में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के 185 मामले भी सामने आए हैं।उन्नाव के असोहा, अजगैन, माखी और बांगरमऊ में दुष्कर्म और छेड़खानी के मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से अधिकतर मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें या तो जमानत पर रिहा कर दिया गया, या फिर वे फरार चल रहे हैं. स्थानीय लोग राज्य में हो रहे इन मामलों के लिए पुलिस को दोष देते हैं. अजगैन के निवासी राघव राम शुक्ला ने कहा, ह्लउन्नाव की पुलिस पूरी तरह से नेताओं के अनुसार काम करती है. जब तक उन्हें अपने आकाओं से इजाजत नहीं मिलती वे एक इंच तक नहीं हिलते हैं। इस रवैये से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं.

कुलदीप सिंह सेंगर दुष्कर्म मामले और गुरुवार को महिला को आग लगाने के मामले से इतर कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामले भी हैं, जिसमें पुरवा में एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म में प्राथमिकी इस साल एक नवंबर को लिखी गई। उन्नाव गैंगरेप पीडिता जलने के बाद शुक्रवार रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता ने शुक्रवार रात 11.40 बजे दम तोड़ दिया। दरिंदों ने पीड़िता को गुरुवार सुबह 95 प्रतिशत जला दिया गया था। गुरुवार रात दिल्ली लाई गई थी। सफदरजंग अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। आपको बताते जाए कि गुरुवार सुबह ही उन्नाव में 5 दरिंदों ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। आरोपियों में से एक पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप का मुख्य आरोपी भी शामिल था।

ग्रामीणों ने बताया कि 90 फीसदी जलने के बाद भी पीड़िता घटनास्थल से एक किलोमीटर तक पैदल चली थी। इसके बाद उसने घर के बाहर काम कर रहे एक व्यक्ति से सहायता भी मांगी। पीड़िता ने खुद ही 112 पर फोन किया और पुलिस से आपबीती बताई। पीड़िता के फोन के बाद ही पीआरवी और एंबुलेंस पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता को जलाने के मामले में राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता का इलाज सरकारी खर्च पर किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने झूठ बोला है कि कानून व्यवस्था ठीक है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि कल देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ-साफ झूठ बोला कि यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी हो चुकी। हर रोज ऐसी घटनाओं को देखकर मन में रोष होता है। भाजपा नेताओं को भी अब फर्जी प्रचार से बाहर निकलना चाहिए। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि ह्व गुरुवार तड़के 4 बजे वह रायबरेली जाने के लिए ट्रेन पकड़ने बैसवारा बिहार रेलवे स्टेशन जा रही थी। इसी दौरान गौरा मोड़ पर गांव के हरिशंकर त्रिवेदी, किशोर शुभम, शिवम, उमेश ने चारों ओर से घेर लिया और डंडों और चाकू से वार किया। इस बीच आरोपियों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी।ह्व बताया जा रहा है कि पीडिता 90 प्रतिशत तक जल चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ह्लउन्नाव की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुखद है।ह्व इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ह्व वह परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं, सरकार उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलवाएगी। उन्नाव रेप पीड़िता के भाई ने कहा कि ह्व मेरी बहन मुझसे सिर्फ इतना कह सकी कि वह जीना चाहती है और दोषियों को फांसी पर लटकते देखना चाहती है।ह्व उन्होंने आगे कहा कि ह्व इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराधी एनकाउंटर में मारे जाते हैं या फांसी पर लटकाए जाते हैं, उन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए, यही हम चाहते हैं। पीड़िता के पिता ने बताया कि ह्व प्रशासन ने बेटी की मौत की सूचना नहीं दी है।ह्व वहीं बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा कि ह्व बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए या दौड़ा-दौड़ाकर मारा जाए। रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है. उधर, रेप पीड़िता को जलाने के आरोप में पकड़े गए मुख्य अभियुक्त की बहन का कहना है कि पुलिस इस बात की गवाह है कि उसके भाई और पिता को जब पुलिस ने पकड़ा तब वे अपने घर में थे. कोई इतना बड़ा कांड करके घर में क्यों बैठेगा. उसने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. आपको बता दें कि रेप पीड़िता को आरोपियों ने जलाकर मारने का प्रयास किया था. बाद में 90 फीसद जली हालत में पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई. अब पीड़िता के परिजनों व रिश्तेदारों का कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, कानून मंत्री बृजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज सहित प्रदेश के कुछ शीर्ष नेता उन्नाव से ही आते हैं. एक स्थानीय वकील ने कहा, ह्लयहां राजनीति से अपराध को बढ़ावा मिलता है. नेता अपराध का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं और पुलिस उनकी हितैषी बनी हुई है. यहां तक कि जब किसानों ने हाल ही में एक नई टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण पर हिंसा का सहारा लिया, तो वे रक्षात्मक बने रहे. ऐसा एक भी मामला नहीं है, जब पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया हो।

सरकारी स्कूलों के ढांचे में सुधार की जरूरत

शिक्षा पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में स्कूली शिक्षा के मामले में काफी असमानताएं हैं। जिसमें बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता है। आयोग की ह्यस्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्सह्न रिपोर्ट में गुणवत्ता के आधार पर केरल को सबसे पहला जबकि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को अंतिम पायदान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट स्कूल जाने वाले बच्चों के सीखने के परिणामों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर दाखिले में देश के 20 बड़े राज्यों में से 11 में चिंताजनक गिरावट आई है। जबकि माध्यमिक स्तर पर यह गिरावट 20 बड़े राज्यों में से 8 में दर्ज की गई है। पुस्तकालय और कंप्यूटर शिक्षा के मामलों में भी राज्यों में काफी असमानताएं हैं। राज्यों के बीच शिक्षा में असमानता देश के विकास में एक बड़ी बाधा है, क्योंकि यही वह सेक्टर है जो पूरी पीढ़ी की दिशा और दशा को इंगित करता है। आंकड़े बताते हैं कि अभी भी शैक्षणिक सुधार के लिए एक मजबूत पहल की जरूरत है। ऐसी नीति बनाने की जरूरत है जिसे सभी राज्यों में समान रूप से लागू करवाया जा सके। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 देश के सभी राज्यों में समान रूप से लागू है इसके बावजूद रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा नियम को लागू करवाने में केरल सबसे आगे और उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा है। पढ़ाने का पैटर्न, शिक्षकों की ट्रेनिंग, क्लास रूम और पदों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति समेत सभी मामलों में केरल की अपेक्षा देश के सभी राज्य पिछड़े हुए हैं। देवभूमि कहलाने वाला पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड ह्यस्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्सह्न रिपोर्ट में दसवें पायदान पर है। जो सरकारी स्कूलों में इसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कमी को दशार्ता है।

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिती और भी चिंताजनक है। जहां कुछ क्षेत्रों में स्कूल भवन पढ़ाने लायक नहीं है, तो कहीं शिक्षक के पद खाली हैं। सरकारी स्कूलों की चरमराती व्यवस्था के कारण ही अभिभावकों का रुझान निजी विद्यालयों की तरफ बढ़ने लगा है। कम आमदनी के बावजूद मां बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाने को तरजीह दे रहे हैं। एक गैर सरकारी सर्वे के अनुसार 35 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के निजी स्कूलों का विकल्प चुन रहे हैं। वर्ष 2006 में निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 20 से बढ़कर 2018 में 33 प्रतिशत हो गया है। उत्तराखण्ड के सरकारी स्कूलों ने वर्ष 2014 से 2018 के मध्य 1.5 लाख विद्यार्थियों ने निजी स्कूलों में पलायन किया हैं। 13 जिलों के 1689 प्राथमिक स्कूलों के 39000 विद्यार्थी एकल शिक्षकों की कृपा से चल रहें हैं। राज्य में छात्र शिक्षक के अनुपात में बहुत बड़ा अंतर है। वर्तमान में निजी एवं सरकारी स्कूलों के ढांचागत शिक्षा में भी बहुत बड़ा अंतर है। खासकर अंग्रेजी भाषा की महत्ता के मामले में अभिभावक निजी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सरकारी स्कूलों की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी स्तर पर ही अंग्रेजी बोलने पर जोर दिया जाता है। जो भविष्य में बच्चों को रोजगार दिलाने में सहायक साबित होगा। निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की शिक्षा क्षमता का अन्तर भी बढ़ता जा रहा है। 2009 के अनुसार यह 16 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 29 प्रतिशत एवं 2018 में 37 प्रतिशत देखने को मिला हैं। बात केवल भाषा सीखने तक ही सीमित नहीं है बल्कि स्कूल भवन और ढांचागत विकास भी प्रभाव रखता है। मेरे स्वयं के अनुभव से देखा है कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की शिक्षा से ही नहीं वरन् स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी साल नैनीताल शहर के एक सरकारी स्कूल में भ्रमण के दौरान मैंने गंदे शौचालय देखे जो गुटखे, सिगरेट व दुर्गंध से भरे थे, जिसमें एक पल खड़ा रह पाना मुश्किल था। वहीं विद्यालय के सभागार का ऐसा आलम था कि छत कभी भी गिर कर एक बडे हादसे का रूप ले सकती है। यह स्थिती नैनीताल शहर के केवल एक विद्यालय की ही नही हैं। उत्तराखण्ड राज्य के 90 प्रतिशत सरकारी स्कूल इसी परिस्थिती से जूझ रहे हैं। जबकि उत्तराखंड भूकंप के जोन 4 में आता है। जो उच्च क्षति जोखिम वाला क्षेत्र है। ऐसी में जर्जर भवन एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। जिसकी तरफ स्थानीय प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में ज्ञान की कमी है। उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है परन्तु स्कूली कार्य के अतिरिक्त उन शिक्षकों पर चुनाव, जनगणना तथा अन्य सर्वे जैसे कार्य बोझ लाद दिए जाते हैं। जिससे अक्सर उनका अध्यापन कार्य प्रभावित होता है। इसके विपरीत निजी स्कूलों के शिक्षकों को केवल पढ़ाने का काम करना होता है, जिससे वह अपनी सारी ऊर्जा छात्रों के सर्वांगीण विकास में लगाते हैं। बहरहाल सरकार को नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। निजी स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों को सभी अनुदान दिए जाते हैं। बजट में शिक्षा के लिए विशेष राशि आवंटित की जाती है। इसके बावजूद अभिभावकों का निजी स्कूलों की तरफ रुख करना इसकी लचर व्यवस्था को दशार्ता है। जरूरत इस बात की है कि सरकार इन स्कूलों के मॉडल में सुधार करे। एक तरफ जहां प्राइवेट स्कूलों की तर्ज. पर भवनों को तैयार किया जाये वहीं शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाये। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी विषय पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आधुनिक शैक्षिक पहलों एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। हमारी पीढी इससें वंचित न रहे इसलिए जरूरी है कि कम्प्यूटर की मूल बातें प्राथमिक स्तर से ही पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने चाहिए। वास्तव में सरकारी स्कूलों के मॉडल में सुधार की आवश्यकता है। कई स्कूलों में सुधार आया है लेकिन कई जगह अब भी सुधार की गुजाइंश बाकी है। इसकी शुरूआत प्राथमिक स्तर से ही की जानी चाहिए क्योंकि मजबूत नींव पर ही सशक्त भवन तैयार किया जा सकता है।

कितना महंगा होने जा रहा है मोबाइल इंटरनेट और क्यों

भारत ऐसा देश है जहां पर मोबाइल डेटा की दरें दुनिया में सबसे कम हैं. यहां पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से भी सस्ता मोबाइल डेटा मिलता है. लेकिन आने वाले समय में भारतीय ग्राहकों को इसी डेटा के लिए ज्यादा रकम चुकानी पड़ सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि दो प्रमुख टेलिकॉम कंपनियों ने जल्द ही मोबाइल डेटा का दाम बढ़ाने की घोषणा की है. भारतीय बाजार में एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया की राजस्व के मामले में आधे से ज्यादा हिस्सेदारी है. ये दोनों ही कंपनियां जल्द ही मोबाइट डेटा को महंगा करने वाली हैं. हाल ही में दोनों कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 10 अरब डॉलर का घाटा दिखाया है. ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने मामले को निपटाते हुए हाल ही में आदेश दिया है कि सभी टेलिकॉम कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की रकम सरकार को देनी होगी. इसी के बाद वोडाफोन ने हाल ही में बयान जारी किया है, ष्मोबाइल डेटा आधारित सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग के बावजूद भारत में मोबाइल डेटा के दाम दुनिया में सबसे कम हैं. वोडाफोन आइडिया 1 दिसंबर 2019 से अपने टैरिफ की दरें उपयुक्त ढंग से बढ़ाएगा ताकि इसके ग्राहक विश्वस्तरीय डिजिटल अनुभव लेते रहें. एयरटेल की ओर से भी इसी तरह का बयान जारी किया गया है. नई दरें क्या होंगी, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. जियो ने भी अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. कंपनियां क्यों डेटा का दाम बढ़ा रही हैं, किस हद तक यह कीमत बढ़ेगी और आम आदमी पर इसका कितना फर्क पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने बात की टेलिकॉम और कॉरपोरेट मामलों के विशेषज्ञ आशुतोष सिन्हा से.

क्यों बढ़ेंगे दाम

पहले टेलिकॉम सेक्टर में कई कंपनियां थीं और उनमें प्रतियोगिता के कारण डेटा की कीमतें गिरी थीं. ये कीमतें इसलिए भी गिरी थीं क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी. भारत में 22 टेलिकॉम सर्कल हैं और उनमें तीन कैटिगरीज हैं- ।, ठ और ब. इनमें ब कैटिगरी के सर्कल्स (जैसे कि ओडिशा) में जियो, एयरटेल व दूसरी कंपनियां नए ग्राहक बनाना चाहती थीं. ऐसा इसलिए, क्योंकि यहां के ग्राहक हर महीने डेटा पर बेशक कम रकम खर्च करते हैं लेकिन इनकी संख्या इतनी है कि आपकी कुल कमाई अच्छी हो जाती है.
इसी कारण वे कुछ समय के लिए नुकसान सहकर भी

ग्राहकों को आकर्षित करना चाह रही थी. वह दौर अब खत्म हो गया है. साथ ही कंपनियां भी कम बची हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि डेटा की कीमत बढ़ेगी.

कितनी बढ़ोतरी होगी

एकदम बहुत बढ़ोतरी बड़ी नहीं होगी क्योंकि कंपनियां एकदम से 15-20 प्रतिशत दाम नहीं बढ़ा सकतीं. इसलिए हर कंपनी अपने हिसाब से योजना बनाएगी कि और देखेगी कि किस सेगमेंट से कितना राजस्व बढ़ना है. दरअसल कंपनियां श्एवरेज रेवेन्यू पर यूजरश यानी प्रति व्यक्ति होने वाली कमाई को देखती है. अभी भारत में यह हर महीने लगभग 150 रुपए से कुछ कम है. आम भाषा में ऐसे समझें कि एक आम व्यक्ति हर महीने 150 रुपए खर्च कर रहा है. तो कंपनियां ऐसी योजना ला सकती है कि अभी आप महीने में 100 रुपए का प्लान ले रहे हैं तो 120 रुपए का प्लान लीजिए, हम आपको 100 रुपए वाले प्लान से दोगुना डेटा देंगे. इससे कंपनियां की 20 फीसदी कमाई तो बढ़ जाएगी लेकिन उनका डेटा का खर्च उतना नहीं बढ़ेगी कि परेशानी होने लगे. फिर भी, कंपनियां को अगर राजस्व बढ़ाना है तो ऐसा तभी हो सकता है जब वे मोटा खर्च करने वाले ग्राहकों से और पैसा खर्च करवाएंगी.
एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल के घाटा दिखाने के साथ-साथ हाल ही में लाइसेंस फीस से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. मामला है एजीआर यानी अडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का. यह 15 साल पुराना केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है. जब मोबाइल सर्विस शुरू हुई थी, तो ऑपरेटरों से सरकार फिक्स्ड लाइसेंस फीस लेती थी. यानी आपके 100 ग्राहक हों या लाखों, आपको इसके एवज में निश्चित रकम देनी है. लेकिनअगस्त 1999 में नई पॉलिसी आई जिसके मुताबिक ऑपरेटरों को सरकार के साथ रेवेन्यू शेयर करना होगा. यानी आपको 100 रुपए की कमाई में से भी निश्चित प्रतिशत सरकार को देना होगा और हजारों-करोड़ की कमाई में से भी. इससे सरकार की कमाई भी बढ़ गई क्योंकि टेलिकॉम कंपनियां भी बढ़ गईं और उनके ग्राहक बढ़ने से सरकार को भी फायदा हुआ. लेकिन एजीआर का झगड़ा ये है कि इसमें किस-किस चीज को शामिल किया जाए. अब यह टेलिकॉम कंपनियों की कि स्मत खराब है कि इसी दौर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया है और उन्हें भारी-भरकम लंबित रकम सरकार को चुकानी होगी. अब इसका समाधान यह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ही नया कानून लाकर बदलकर कंपनियों को राहत दे या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम कहे कि हम आपके यह रकम एकमुश्त नहीं लेंगे, आप धीरे-धीरे एक निश्चित अवधि में दे दीजिए.

दाम बढ़ाने से डर क्यों नहीं

प्रश्न यह उठता है कि जब कोई कंपनी डेटा को महंगा करेगी तो क्या उसके ग्राहक अन्य कंपनियों के पास नहीं चले जाएंगे? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) अधिक सफल नहीं हुआ है. फिर बात आती है विकल्पों की. बीएसएनएल को भी मिला दिया जाए तो भारत में चार ही टेलिकॉम ऑपरेटर हैं. यानी ग्राहकों के पास बहुत विकल्प नहीं हैं. अगर आज की तुलना 2008-10 से करें तो तब देश में 13 टेलिकॉम ऑपरेटर थे. अब स्थिति उल्टी हो गई है. पहले प्राइसिंग पावर यानी मूल्य तय करने की ताकत कंपनियों के पास नहीं थी. उस समय ग्राहकों के पास विकल्प बहुत थे. इसीलिए प्रतियोगिता के कारण कंपनियां मूल्य बढ़ाने से पहले सोचती थीं. लेकिन अब कम ऑपरेटर रह जाने के कारण प्राइसिंग पावर कंपनियों के पास आ गई है.

कैंसर का कारण बनते हैं ई-सिगरेट में मौजूद रसायन

पिछले दिनों लोकसभा में ह्यइलैक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भण्डारण और विज्ञापन) विधेयक-2019ह्ल पारित होने के बाद दो दिसम्बर को राज्यसभा में भी ध्वनिमत से यह विधेयक पारित हो गया। उल्लेखनीय है कि गत 18 सितम्बर को केन्द्र सरकार द्वारा अमेरिकी युवाओं में ई-सिगरेट की बढ़ती लत का हवाला देते हुए धूम्रपान नहीं करने वालों में निकोटीन की लत बढ़ने के मद्देनजर ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया था और संसद के दोनों सदनों में इस संबंधी विधेयक पारित होने के बाद अब ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब ई-सिगरेट का कारोबार करने वाले व्यक्ति को पहली बार एक वर्ष की सजा तथा एक लाख का जुमार्ना हो सकता है लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन वर्ष तक की सजा व पांच लाख रुपये जुमार्ना अथवा दोनों हो सकते हैं। भण्डारण के लिए ई-सिगरेट रखने पर भी 6 माह की जेल और 50 हजार रुपये तक का जुमार्ना संभव हैं।

सरकार द्वारा ई-सिगरेट पर पाबंदी लगाने का जो स्वागतयोग्य निर्णय लिया गया, वह कई अमेरिकी शोधों के अलावा कुछ भारतीय संस्थानों द्वारा की गई रिसर्च पर आधारित है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा ई-सिगरेट को लेकर इसी साल मई माह में एक श्वेत पत्र जारी कर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। देश के शीर्ष मेडिकल रिसर्च निकाय ह्यइंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चह्ल, एम्स, टाटा रिसर्च सेंटर तथा राजीव गांधी कैंसर अस्पताल द्वारा भी इस पर प्रतिबंध की अनुशंसा की गई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपने श्वेत पत्र में ई-सिगरेट के तमाम दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया था कि ई-सिगरेट को लेकर युवाओं में भ्रम है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि यह भी स्वास्थ्य के लिए उतनी ही हानिकारक है, जितनी साधारण सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद। श्वेत पत्र में कहा गया था कि ई-सिगरेट व्यक्ति के डीएनए को क्षतिग्रस्त कर सकती है और इसकी वजह से सांस, हृदय व फेफड़े संबंधी तमाम बीमारियां हो सकती हैं। ई-सिगरेट का सेवन करने वाली महिलाओं में तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं।

ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत पहला देश नहीं है बल्कि दुनियाभर में अभी तक करीब दो दर्जन देश इसे प्रतिबंधित कर चुके हैं। ई-सिगरेट की शुरूआत वास्तव में आम सिगरेट की लत छुड़ाने के नाम पर हुई थी लेकिन विकसित देशों के साथ-साथ विकासशील देशों में भी यह खासकर युवाओं और बच्चों में जिस प्रकार एक नई महामारी में बदलती दिख रही थी, उसके मद्देनजर बच्चों को इसके

खतरे से बचाने के लिए भारत में इस पर प्रतिबंध लगाया जाना समय की बहुत बड़ी मांग भी थी। बच्चों व नाबालिगों को आकर्षित करने के लिए ई-सिगरेट निमार्ता कम्पनियों द्वारा अलग-अलग फ्लेवर के साथ ही कैंडी के रूप में भी ई-सिगरेट को बाजारों में उतारा जा चुका है, जिससे प्रभावित होकर छोटी कक्षाओं के बच्चे भी कैंडी की शक्ल में ई-सिगरेट पकड़ना शुरू कर देते हैं, जो बाद में आम सिगरेट भी पीने लगते हैं। उत्तर-पश्चिमी इंग्लैंड के शोधकताओं ने भी स्पष्ट किया था कि जिन किशोरों ने कभी सिगरेट का एक कश भी नहीं लिया था, वे भी अब ई-सिगरेट के साथ प्रयोग कर रहे हैं। इस शोध में 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग के 16193 किशोरों को शामिल किया गया था और शोध के मुताबिक पांच में से एक किशोर ने ई-सिगरेट का कश लेने या उसे खरीदने की कोशिश की थी।

एक अमेरिकी अध्ययन के अनुसार वहां 10वीं तथा 12वीं के स्कूली बच्चों में ई-सिगरेट का चलन 77.8 प्रतिशत तक बढ़ा है जबकि मिडल स्कूल के बच्चों में ई-सिगरेट लेने का चलन 48.5 प्रतिशत बढ़ा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ई-सिगरेट उपलब्ध कराने वाली कम्पनियां जानबूझकर बबलगम, कैप्टन क्रंच तथा कॉटन कैंडी जैसे फ्लेवर का उपयोग कर रही हैं ताकि युवाओं को इसकी ओर आकर्षित किया जा सके। एक अध्ययन में कुछ समय पूर्व यह खुलासा हुआ था कि स्कूली बच्चे 16-17 साल की उम्र में ही सिगरेट के आदी हो जा रहे हैं और इन बच्चों में बड़ी संख्या ऐसी है, जिन्हें 18 साल का होते-होते ई सिगरेट की लत लग जाती है। यही नहीं, 10-11 साल के बच्चे भी हुक्के की भांति ई-सिगरेट का सेवन करने लगे थे। दरअसल युवा पीढ़ी और बच्चे इसे स्टेटस सिंबल के रूप में अपनाने लगे हैं और यही कारण है कि देश में ई-सिगरेट का वैध-अवैध कारोबार बड़ी तेजी से बढ़ रहा था।

ई-सिगरेट निमार्ता कम्पनियों द्वारा भले ही इसे बीड़ी-सिगरेट की लत छुड़ाने के एक भरोसेमंद और सुरक्षित विकल्प के रूप में पेश किया जाता रहा है लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन स्पष्ट कर चुका है कि ई-सिगरेट से पारम्परिक सिगरेट जैसा ही नुकसान होता है। संगठन ने इसी साल अपनी रिपोर्ट में चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि सिगरेट उद्योग तम्बाकू विरोधी अंतर्राष्ट्रीय मुहिम को नाकाम बनाने में लगा हुआ है, इसलिए ई-सिगरेट कम्पनियों के प्रचार पर विश्वास न करें। आंकड़ों पर नजर डालें तो देशभर में करीब 460 ई-सिगरेट कम्पनियां सक्रिय हैं, जिनके सात हजार से भी ज्यादा फ्लेवर्ड उत्पाद बाजारों में बिक रहे हैं। शोधकताओं का कहना था कि ई-सिगरेट निकोटीन की दुनिया में शराब की तरह ही है, जिस पर सख्ती से नियंत्रण करने की आवश्यकता है। कुछ कैंसर विशेषज्ञ ई-सिगरेट को पैसिव स्मोकिंग का बड़ा उदाहरण मानते रहे हैं, जिनका कहना है कि ई-सिगरेट में निकोटीन आम सिगरेट से कम भले ही हो लेकिन इसमें मौजूद केमिकल कैंसर का कारण बनते हैं। उनका कहना है कि इसी के प्रयोग से एक नॉन स्मोकर को भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। इंडिया कैंसर रिसर्च कंसोर्टियम के सीईओ प्रो. रवि मेहरोत्रा का कहना है कि ई-सिरगेट खासकर युवाओं में फेफड़ों से संबंधित बीमारियों की बड़ी वजह बन रही है, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक टाइम बम की तरह है।

ई-सिगरेट को ह्यइलैक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्सह्न भी कहा जाता है, जो निकोटीन अथवा गैर-निकोटीन पदार्थों की भाप को सांस के साथ भीतर ले जाने वाला एक वाष्पीकृत बैटरी चालित उपकरण है। ई-सिगरेट एक लंबी ट्यूब जैसी होती है, जिसका बाहरी आकार-प्रकार सिगरेट और सिगार जैसे वास्तविक धूम्रपान उत्पादों जैसा ही बनाया जाता है, जिसमें कोई धुआं या दहन नहीं होता लेकिन सिगरेट, बीड़ी, सिगार जैसे धूम्रपान के लिए प्रयोग किए जाने वाले तम्बाकू उत्पादों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली ई-सिगरेट वास्तव में तम्बाकू जैसा ही स्वाद, अहसास और शारीरिक संवेदना देती है। इसमें निकोटीन तथा अन्य हानिकारक रसायन तरल रूप में भरे जाते हैं। जब ई-सिगरेट में कश लगाया जाता है तो इसमें लगी हीटिंग डिवाइस निकोटीन वाले इस घोल को गर्म करके भाप में बदल देती है, इसी भाप को इनहेल किया जाता है। इसलिए इसे स्मोकिंग के बजाय ह्यवेपिंगह्न कहा जाता है। लिक्विड निकोटिन का घोल गर्म होने पर एरोसोल में बदल जाता है। निकोटीन युक्त घोल के गर्म होने पर शरीर के अंदर हैवी मैटल पार्टीकल चले जाते हैं, जो कारसिनोजेनिक होते हैं और कैंसर का कारण भी बनते हैं। ई-सिगरेट के अधिकांश ब्रांड में एडेहाइड्स, टर्पिन्स, भारी धातु तथा सिलिकेट कणों जैसे घातक तत्व होते हैं, जो शरीर की कार्यप्रणाली पर हर प्रकार से घातक प्रभाव डालने के साथ कई बीमारियों को भी जन्म देते हैं। ई-सिगरेट सीधे तौर पर छाती और मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। ई-सिगरेट से निकलने वाले धुएं में बहुत अधिक निकोटिन पाया जाता है और इसमें से भी सिगरेट की ही भांति टॉक्सिक कम्पाउंड निकलते हैं, जो इंसानी फेफड़ों को आम सिगरेट जैसा ही नुकसान पहुंचाते हैं। निकोटीन के कारण रक्तचाप सामान्य से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एक नए शोध के अनुसार ई-सिगरेट का सेवन करने से ब्लड क्लॉट की समस्या उत्पन्न हो सकती है और इसके सेवन से हार्ट अटैक का खतरा 56 फीसदी तक बढ़ जाता है। बहरहाल, ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए अब जरूरत इस बात की है कि इस प्रतिबंध को असरकारक बनाने के लिए सरकारी नियामकों द्वारा अपेक्षित सख्ती बरती जाए ताकि ये उत्पाद आमजन तक पहुंच ही न सकें और देश के भविष्य को ई-सिगरेट के जहर से बचाने में सफलता मिले।

देश में अन्नदाता किसानों को खुशहाल बनाने की धरातल पर पहल कब

आजाद भारत में हम सबका पेट भरने वाले अन्नदाता को आयेदिन अपने अधिकारों और हक को हासिल करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। लेकिन देश की सरकारें है कि वो अपनी चतुर चाणक्य नीति से हर बार इन किसानों को आश्वासन देकर समझा-बुझाकर सबका पेट भरने के उद्देश्य से अन्न उगाने के लिए वापस खेतों में काम करने के लिए भेज देती है। देश में सरकार चाहें कोई भी हो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्षरत किसानों की झोली हमेशा खाली रह जाती है। आज अन्नदाता किसानों के हालात बेहद सोचनीय हैं, स्थिति यह हो गयी है कि एक बड़े काश्तकार को भी अपने परिवार के लालनपालन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो स्थिति देशहित में ठीक नहीं हैं। किसानों के इस हाल के लिए किसी भी एक राजनैतिक दल की सरकार को ज़िम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा।

उनकी बदहाली के लिए पिछले 72 सालों में किसानों की वोट से देश में सत्ता सुख का आनंद लेने वाले सभी छोटे-बड़े राजनैतिक दल जिम्मेदार हैं। क्योंकि इन सभी की गलत नीतियों के चलते ही आज किसानों की स्थिति यह है कि भले-चंगे मजबूत किसानों को सरकार व सिस्टम ने कमजोर, मजबूर व बीमार बना दिया है। जिसमें रही सही कसर हाल के वर्षों में सत्ता पर आसीन रही राजनैतिक दलों की सरकारों ने पूरी कर दी है। जिनकी गलत नीतियों व हठधर्मी रवैये ने उन परेशान किसानों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। जहां अब वो कृषि क्षेत्र की लाइलाज हो चुकी बिमारियों के समाधान की उम्मीद में बैठे है। किसानों में बढ़ते आक्रोश के चलते अब देश में स्थिति यह हो गयी है कि किसानों को आयेदिन अपनी लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान को लेकर ना चाहकर भी सड़कों पर उतर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किसानों की दुश्वारियों को कम करके उनके आर्थिक स्वास्थ्य को जल्द से जल्द ठीक करें।

सरकार को समझना होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा अन्नदाता किसान देश की मजबूत नींव हैं, अगर सरकार किसानों को खुशहाल जीवन जीने का माहौल प्रदान करती है तो देश भी खुशहाल रहेगा। लेकिन वो इसी तरह से गरीबी, कर्ज, फसल खराब होने पर उचित मुआवजा ना मिलने व फसल के उचित मूल्य ना मिलने से परेशान होकर इसी तरह आत्महत्या करता रहा तो इस स्थिति में देश व देशवासियों का खुशहाल रहना संभव नहीं है। किसानों के हालात में अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं है जब बेहद कठिन परिस्थिति, कड़े परिश्रम और अनिश्चितता से भरे कृषि क्षेत्र में आने वाले समय में खेती के कार्य से लोग बहुत तेजी से पलायन करने लगेंगे।

किसानों के दर्द को समझने के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो समझ आता है कि सरकार की उपेक्षा के शिकार कृषि क्षेत्र से देश की आधी से अधिक श्रमशक्ति 53 प्रतिशत लोग अपनी रोजीरोटी आजीविका चलाते हैं। इन लोगों में वो सब शामिल है जो किसी ना किसी रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं देश के आर्थिक विकास के पैमाने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की बात करें तो देश की सरकारों के कृषि क्षेत्र के प्रति उदासीन रवैये के चलते उसमें भी कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत कम हुआ है। यह वर्ष 1950-1951 में 54 प्रतिशत था जो अब गिरकर मात्र लगभग 15 प्रतिशत के आसपास रह गया है। वहीं

विगत कुछ वर्षों में हुई किसानों की आत्महत्या पर ह्लराष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरोह्व (एनसीआरबी) के आंकड़ों की बात करें तो भारत में 1995 से 2014 के बीच किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा तीन लाख पार कर चुका था। वहीं पिछले कुछ वर्षों में भारत में किसानों की आत्महत्या के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। जो हालात देश के नीतिनिमार्ताओं व भाग्यविधाताओं के साथ-साथ आमजनमानस के लिए भी बहुत चिंताजनक व सोचनीय हैं। लेकिन आजतक किसी भी सरकार ने किसानों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कारकों व हालतों का स्थाई समाधान करने की ठोस कारगर पहल धरातल पर नहीं की है। इस ज्वंलत समस्या पर सरकार तत्कालिक कदम उठाकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेती है। आजकल तो देश के भाग्यविधाताओं ने किसानों की होने वाली आत्महत्याओं के आंकड़ों को ही छिपाना शुरू कर दिया है। दुर्भाग्य की बात यह हैं कि पिछले कई वर्षों से किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आमजनमानस के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन पिछले वर्षों के औसत के आधार पर कहा जा सकता है कि मौजूदा समय में देश में किसान आत्महत्याओं का यह आंकड़ा लगभग 4 लाख के आसपास पहुंच गया होगा। लेकिन फिर भी देश में किसानों की उपेक्षा लगातार जारी है।एक रिपोर्ट के अनुसार देश में अन्नदाताओं की आत्महत्याओं के पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण साहुकार व बैंकों के ऋण की समय से अदायगी न कर पाना है। क्योंकि किसान व्याज के चलते कर्ज में भारी वृद्धि हो जाने से समय पर कर्ज नहीं चुका पाता है, इसके लिए फसल उत्पादन लागत में भारी वृद्धि के बाद भी फसल उत्पादन में कमी, फसल का उचित मूल्य नहीं मिलना तथा मौसम की बेरुखी के चलते लगातार फसलों का बर्बाद होना, बर्बाद फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिल पाना आदि हालात जिम्मेदार है। हमारे देश में आजकल किसानों के द्वारा नगदी फसलें उगाने का चलन ज्यादा चल गया है, जिनकी लागत बहुत अधिक होती है। जिसके चलते किसानों को बहुत पैसे की आवश्यकता होती है और देश में आज भी स्थिति यह है कि बैंकों व अन्य संस्थाओं से किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक कर्ज आसानी से नहीं मिल पाता है। जिसके चलते किसान 24 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत ब्याज पर निजी साहूकारों से ऋण लेकर अपनी खेती की जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन फसल तैयार होने के बाद गलत नीतियों के चलते उचित मूल्य ना मिल पाने, फसल बर्बाद व उत्पादन कम होने के चलते किसानों की कर्ज अदा करने की स्थिति नहीं रह पाती है, जिसके चलते वो कर्ज के इस खतरनाक दलदल में बुरी तरह धंसता चला जाता हैं और जब उसकी सहने की क्षमता जवाब दे जाती हैं तो वो जिंदगी से खफा हो आत्महत्या करने जैसा कदम उठा कर असमय मौत को गले लगा लेता है। हालांकि भारत में किसान एक ऐसी बहादुर कौम जो हर तरह की विकट से विकट परिस्थितियों में भी बिना हिम्मत हारे उनका डट कर मुकाबला करने का माद्दा रखता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जीवन संघर्ष के इस दौर में अपने परिवारों के कष्टों को देखकर टूट जाते हैं और वो आत्महत्या कर बैठते हैं। देश में बेहद कठिन हालात में काम करने वाले किसानों की समस्याओं की उपेक्षा सभी सरकारों के द्वारा जारी है, किसानों की उपेक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण हैं कि देश में उद्योगपतियों ने मंदी की हालात से उत्पन्न समस्या से केंद्र सरकार को अवगत कराया, सरकार ने विकट हालात को तुरंत समझते हुए भारी मंदी की चपेट में आये उधोगों को उबारने के लिए तत्काल कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर उनको राहत देने का काम किया, जिससे देश के कॉरपोरेट सेक्टर को 1.45 लाख करोड़ का लाभ आने वाले समय में होगा। जबकि हमारा अन्नदाता किसान अपनी समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है, फिर भी सरकार किसानों की लंबे समय से लंबित चली आ रही विभिन्न मांगों पर समय रहते सुनवाई करके उनका स्थाई हल नहीं करती है। यहां गौरतलब है कि सरकार के द्वारा देश के उधोगों को यह राहत ऐसे समय में दी गई थी, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों अन्नदाता किसान अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए पैदल मार्च करके दिल्ली पहुंचे थे। फिर भी सरकार ने किसानों की झोली को खाली ही रखा, केंद्र सरकार ने पूर्व की भांति चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए, अन्नदाता को मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन देकर चतुराई से वापस घर भेज दिया। अब देखना होगा कि सरकार का किसानों की मांगों पर विचार आखिर कब तक चलता है और कब तक किसानों की मांगों पर अमल होता है। देश के अन्नदाताओं के आंदोलन के साथ इसी तरह का सफलता पूर्वक प्रयास मोदी सरकार में पहले भी हो चुका है और समय-समय पर पहले की सरकारें भी इस प्रकार के हथकंडे को अपना कर किसानों के आक्रोश को शांत करती रही हैं। देश में सरकारें बदलती रही है लेकिन किसानों की समस्याओं का पूर्ण स्थाई समाधान फिर भी अभी तक नहीं हो पाया है।जबकि किसानों की मुख्य मांगे वही वर्षों पुरानी है, फसलों का उचित मूल्य, मौसम की मार के चलते बर्बाद फसलों का उचित मुआवजा, सरकार द्वारा तय रेट पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करना, गन्ना का भुगतान समय पर हो, किसानों का कर्ज माफ हो, किसानों को बिजली पानी डीजल सस्ता दिया जाए, किसानों के सुरक्षित जीवन के लिए पेंशन योजना बनायी जाये, किसानों की हालात को सुधारने के लिए देश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाये आदि हैं। किसान का आरोप है कि हम बेहद परेशान हैं लेकिन उसके बाद भी कोई भी सरकार हमारी मांगों पर कभी भी ध्यान से सहानुभूतिपूर्वक विचार कर-के हमारी समस्याओं का ठोस स्थाई समाधान नहीं निकालती है। किसानों का मानना हैं कि देश में चाहे सरकार कोई भी हो वो सड़क पर आये किसानों के दुखदर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है। देश में लंबे समय से किसान आंदोलनरत होकर सड़कों पर है लेकिन कोई भी सरकार किसानों की समस्या जान कर उनका स्थाई समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। आज किसानों की स्थिति पर मैं देश के नीतिनिमार्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ह्लओ देश के भाग्यविधाता,ना करों अन्नदाता पर अत्याचार,अन्न उगा कर सबका पेट भरने वाले,किसानों की जल्द सुनों पुकार,ना करों उस पर अब और प्रहार,दे दो उसको खुशहाली सेजीवन जीने के अधिकार।। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह हैं कि सबका पेट भरने वाला अन्नदाता किसान खुद खाली पेट अपने ही द्वारा चुनी सरकार से अपने अधिकारों की लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ता आ रहा है। लेकिन उसकी आवाज उठाने के सबसे सशक्त माध्यम भारतीय मीडिया के अधिकांश प्रभावशाली चहरे उस पर ना जाने क्यों चुप्पी लगाये बेठे हैं। उनमें से आधिकांश अपने प्राइम टाइम में किसानों की समस्याओं व उनकी बेहाली पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि आप जब भी टीवी खोलेंगे तो प्राइम टाइम में हिंदू-मुसलमान, अबु बकर अल बगदादी, तानाशाह किम जोंग, आईएसआईएस, पाकिस्तान आदि के टीआरपी हासिल करने वाले मुद्दों पर बेहद गम्भीरतापूर्वक डिवेट चल रही होती है। लेकिन किसी के भी पास सबका पेट भरने वाले देश के अन्नदाता किसान के लिए समय नहीं है। हालांकि समय-समय पर किसानों के लिए विभिन्न सरकारों के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गयी हैं।